



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102020-222261
CG-DL-E-06102020-222261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/ आश्विन 8, 1942

No. 399]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ ASVINA 8, 1942

दि इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

सं. जी/19—सीडब्ल्यू/9/2020.—लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उप धारा 5 के अनुसरण में, काउंसिल ऑफ द इंस्टिट्यूट की 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और इस इंस्टिट्यूट के लेखापरीक्षित लेखों को आम सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कौशिक बनर्जी, सचिव

61वीं, वार्षिक रिपोर्ट, 2019—20

द काउंसिल ऑफ इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स और इंडिया को इंस्टिट्यूट के विभागों, समितियों क्षेत्रों और चैप्टरों की उपलब्धियों और क्रियाकलापों को दर्शाते हुए 61वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2019—20

✓ परीक्षा निदेशालय

फाउंडेशन इन्टरमीडिएट अंतिम और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष में दो बार अर्थात् जून माह में और दिसंबर माह में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का आयोजन जून, 2019 में 3 विदेशी केन्द्रों सहित 125 परीक्षा केन्द्रों में और दिसंबर, 2019 में 3 विदेशी केन्द्रों सहित 133 परीक्षा केन्द्रों में किया गया था। कुल मिलाकर जून, 2019 की अवधि परीक्षा में 55,141 परीक्षार्थी और दिसंबर, 2019 की अवधि की परीक्षा में 70,715 परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे। परीक्षण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा सभी संबंधित सक्रिय सहयोग से परीक्षा के परिणाम नियत समय पर और मानकों का पालन करते हुए बिना किसी समस्या के प्रकाशित किए गए।

✓ अध्ययन निदेशालय (डी. ओ. एस)

अध्ययन निदेशालय (डी. ओ. एस.) को छात्रों से संबंधित क्रियाकलाप सौंपे गए हैं और यह हमेशा बेहतर करने का प्रयास करता है। वर्तमान में इसकी चार शाखाएं हैं : (क) शैक्षणिक (ख) प्रशासनिक (ग) कैरियर परामर्श और (घ) प्रशिक्षण एवं नियुक्ति।

- गुणवत्तापरक सुधारों के ज़रिए क्षमता निर्माण के लिए किए गए प्रयास :

- i. लगभग सभी पेपरों (इंटरमीडिएट और अंतिम स्तरों पर) के लिए अध्ययन सामग्री में संशोधित किए गए;
- ii. आगामी परीक्षाओं (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान, कानून और लेखों, लागत लेखा परीक्षा के संबंध में) के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्रियां;
- iii. सभी पेपरों के लिए (फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और अंतिम स्तरों के लिए) इंस्टिट्यूट की वेबसाइट पर वर्क बुक अपलोड की गई;
- iv. फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और अंतिम स्तरों के लिए मॉक टेस्ट पेपर (एम टी पी);
- v. चुनिंदा विषयों और टॉपिक पर शैक्षणिक और औद्योगिक दोनों से विशेषज्ञों द्वारा बेबिनार;
- vi. फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और अंतिम स्तरों के लिए मासिक ई-बुलेटिन;
- vii. फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल अब वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- viii. फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और अंतिम स्तरों के लिए बहु विकल्पीय प्रश्न अपलोड किए गए।

- सी एम ए कैरियर काउंसिलिंग प्रोग्राम (2019-2020)

- विद्यार्थियों को सहायता सेवा

- सामाजिक जिम्मेदारियां

- प्लेसमेंट कार्यक्रम (2019-2020)

- प्राद्योगिक प्रशिक्षण क्रियाकलाप (2019-2020)

✓ बोर्ड ऑफ एडवांस्ड स्टडीज

- बोर्ड ऑफ एडवांस्ड स्टडीज ने एडवांस्ड स्टडीज ई बुलेटिन-खंड - 2 सं. 1, मार्च 2020 को जारी किया।
- एडवांस्ड स्टडीज निदेशालय ने 9 स्थानों पर दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलुरु और जयपुर में एक साथ 26 दिसंबर, 2019 से कांटेक्ट क्लास के माध्यम से एसएपी - एफआईसीओ पावर यूजर कोर्स पेन इंडिया का प्रथम बैच आयोजित किया।
- वित्त संबंधी पेशेवरों के लिए डाटा विश्लेषण में ऑनलाइन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम दो लगातार बैच में जुलाई, 2020 में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

✓ पेशेवर विकास और सी पी डी निदेशालय

- सरकारी, पी एस यू, बैंकों और अन्य संगठनों का प्रतिनिधित्व
- सी एम ए को शामिल किया गया
- भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 25.09.2019 के परिपत्र सं. आरबीआई/2019-20/69 – डीजीबीए. जीबीडी. सं. 648/31.12.2007/ 2019-20 दिनांक 25.09.2019 के तहत लागत लेखाकारों को "एजेंसी कमीशन फर्निशिंग रिकाउंसिलेशन सर्टिफिकेट" के लिए शामिल किया गया है

- आर्विट्रेशन एंड काउंसिलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2019

लागत लेखाकारों को दिनांक 9 अगस्त, 2019 की भारत की राजपत्रित अधिसूचना में "आर्विट्रेशन एंड काउंसिलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2019" के तहत मध्यस्थ (आर्विट्रेटर) के रूप में नियुक्त करने के लिए विचार किया जाता है।

- इंस्टिट्यूट ऑफ एक्जुअरीज परीक्षा के लिए प्रवेश :
- यूनिफाइड डाक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर (यू डी आई एन)

दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 से पेशेवर कॉस्ट अकाउंटेंट्स/ सी एम ए द्वारा प्रत्येक प्रमाणित/ सत्यापित दस्तावेज पर यूनिफाइड डाक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (यू डी आई एन) का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया था।

- अनिवार्य क्षमता निर्माण प्रशिक्षण (एम सी बी टी)

अन्य पहलें

- आई सी एम ए बंगलादेश के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 9वां लंदन ग्लोबल कंफ्रेंस के लिए आई आ डी के साथ सहयोग
- सी एम ए अर्हता की वैश्विक मान्यता
- कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के चरण के दौरान पहल की गई।
- एम एस एम ई की समस्याओं और सुझावों का उल्लेख करते हुए ज्ञापन
- एम एस एम ई हेल्प डेस्क
- ई-लर्निंग क्रियाकलापों अर्थात् वेबिनार और वेबिनट में वृद्धि

✓ जर्नल और प्रकाशन निदेशालय

नियमित क्रियाकलाप

- जर्नल का प्रकाशन समय पर किया जा रहा है।
- मैनेजमेंट अकाउंटेंट जर्नल को डंडेक्स कॉपरनिक्स और जे-गेट पर सूचीबद्ध किया गया है। इसका वैश्विक प्रभाव और गुणवत्ता कारक (2015):0563 पर भी प्रभाव है।
- पाठकों के लाभ के लिए जर्नल में सांविधिक अपडेट, डिजिटल ट्रांसफार्मेशन, डाउन द मेमोरी लेन और हैल्थ टिप्स जैसे विशेष कॉलम शामिल करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।
- अंक को अधिक लाभकर और प्रेरक बनाने के लिए हमने हाल की समय की महत्वपूर्ण इवेंट से संबंधित विशेष लेख भी शामिल किया था।
- डोरमेंट एन एम जे के पुनरुद्धार के लिए अभियान चलाया गया और इस प्रयास से काफी एन एम जे सक्रिय हो गए हैं।

- बैंकों, आर बी आई, आई आर डी ए, सेबी, बीमा कंपनियों और विभिन्न अन्य उद्योगों के प्रमुखों के लिए संपूरक (कंप्लीमेंटरी) प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए कारपोरेट डाटाबेस को आवधिक रूप से अपडेट किया जा रहा है। इससे हमें हमारे जर्नल की बाजार में स्थिति को सुधारने में मदद मिलती है।
- क्षेत्रों और चैप्टरों को इवेंट/ फोटों के लिए नियमित सम्पर्क किया जाता है और इससे हमें हर अंक में संस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों से विभिन्न नई-नई जानकारी शामिल करने में मदद मिलती है।

रिसर्च बुलेटिन – इंस्टिट्यूट के तिमाही जर्नल की श्रेष्ठ जनों द्वारा समीक्षा (आईएसएसएन 22309241)

रिसर्च बुलेटिन खंड 44, सं. IV, जनवरी, 2019; खंड – 45, सं. I तथा II, अप्रैल और जुलाई, 2019 प्रकाशित। दोनों के लिए कोई थीम नहीं थी।

खंड 45 सं. III और IV अक्टूबर, 2019 और जनवरी, 2020, बिना थीम का अंक शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा।

✓ बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा विभाग

- बैंकों के ऋण प्रबंधन, बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा और ट्रेजरी एवं फारेक्स प्रबंधन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के संबंध में पाठ्यक्रमों की शुरुआत :
- बैंकों के ऋण प्रबंधन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- वेबइन्ट्स का आयोजन
- बी एफ एस आई क्रोनिकल
- गाइडेंस नोट जारी करना
- एम एस एम ई पर आनलाइन सर्वे
- आईआरडीई को सुझाव
- बीएफएसआई डाटाबेस
- सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों के टॉप प्रबंधन के साथ बैठक
- बीमा क्षेत्र में विभिन्न प्रमुखों के साथ बैठक
- भारतीय बैंक संघ के अधिकारियों के साथ बैठक
- इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन के अधिकारियों के साथ बैठक
- भारतीय रिजर्व बैंक के टॉप अधिकारियों के साथ बैठक
- इंस्टिट्यूट के बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा पोर्टल की शुरुआत
- एसोचेम कार्यक्रम के साथ भागीदारी
- इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स के साथ वेबिनार

✓ अध्यक्ष का कार्यालय

- ✓ वैश्विक सम्मेलन 2020
- ✓ मंत्रालयों, सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ पत्राचार
- ✓ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तकनीकी सहायता
- ✓ इंस्टिट्यूट की सभी प्रमुख इवेंट के लिए सहायता

✓ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

इंस्टिट्यूट ने न केवल हितकारकों को क्षमता और सेवा प्रदान में सुधार करने के लिए बल्कि हितधारकों के साथ बातचीत में वृद्धि करने के लिए भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग किया है।

- वेब आधारित वीडियो कांफ्रेंसिंग सोल्यूशन
- गूगल और हेंग आउट के जरिए बैंकों का आयोजन
- वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक आयोजित करने के लिए अन्य विभागों को प्रशिक्षण
- आनलाइन कक्षाएं आयोजित करने में अन्य विभागों को सहायता
- जी सूट का उपयोग करके ग्रुप ई-मेल
- वेबिनार/ वेबिंट लाइव इवेंट
- इवेंट की उपस्थिति दर्ज करने के लिए अनुप्रयोग
- ट्विटर हैंडल/ फेसबुक पेज का सत्यापन
- पोर्टल की रीडिजाइनिंग और निर्माण
- एच आर आई एस

✓ आयोजित समिति में सदस्य

संस्थान की उद्योग समिति में सदस्यों ने देश भर में विभिन्न उद्योगों से जुड़े सदस्यों की सेवाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। ये पहले सदस्यों का एक पेशेवर निकाय विकसित करने और नेतृत्व प्रदान करने के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के उद्देश्य को देखते हुए की गई। समिति ने सी एम ए की मूल्यवान भूमिका में विभिन्न उद्योगों की भागीदारी, उनके प्रसार और प्रासधान के लिए क्रियाकलाप और कार्यक्रम शुरू किए।

✓ आंतरिक नियंत्रण विभाग

- ✓ आंतरिक लेखा परीक्षा
- ✓ खरीद प्रस्ताव
- ✓ सी एंड ए जी लेखा परीक्षा के उत्तर

✓ अंतर्राष्ट्रीय कार्य विभाग

- ✓ साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (एस ए एफ ए)
- ✓ कंफेडरेशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक अकाउंटेंट्स (सी ए पी ए)
- ✓ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (आई एफ ए सी)
- ✓ इंस्टिट्यूट के विदेशी निकायों से अधिकारियों के दौरे
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय बैठकें और आयोजन

✓ लागत लेखांकन मानक बोर्ड (सी ए एस बी)

- ✓ कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लागत की विभिन्न मदों के सुधार पर परामर्श
- ✓ इंड एस के कारण लागत लेखांकन मानकों का सीमित संशोधन
- ✓ क्षमता निर्धारण के संबंध में लागत लेखांकन मानक (सी ए एस - 2) का सीमित संशोधन
- ✓ लागत लेखांकन मानकों के प्रयोगिक पहलुओं पर बेविन्ट

✓ कर अनुसंधान विभाग

- टैक्स बुलेटिन

“प्राथमिक टैक्स बुलेटिन” की शुरुआत करना विभाग के प्राथमिक क्रियाकलापों में से ही टैक्स बुलेटिन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों करों में वर्तमान गतिविधियों के बारे में सूचना देने संबंधी लेख शामिल हैं।

- वेबिनार :

विभाग द्वारा किए गए वेबिनारों को इंस्टिट्यूट के सदस्यों द्वारा अत्यधिक सराहना मिली है।

- सेमिनार :

इस अवधि में विभाग द्वारा किए गए सेमिनारों को प्रत्यक्ष कर सेमिनार और अप्रत्यक्ष कर सेमिनार के रूप में पृथक किया जा सकता है।

✓ तकनीकी प्रकोष्ठ (लागत लेखा परीक्षा और सांविधिक अनुपालना)

- कोविड-19 महामारी के चलते लाकडाउन के कारण लेखा परीक्षा रिपोर्ट में प्रकटीकरण पर परामर्श
- लागत रिकार्ड की आंतरिक लेखा परीक्षा पर मार्गनिर्देशन नोट
- मुम्बई में “लागत लेखा परीक्षा – स्टेकहोल्डर्स वेल्यू प्रोपोजिशन” पर सिम्पोजियम
- मोनोग्राम एडवेंटेज इंडिया 2020
- सदस्यों/ हितधारकों के प्रश्नों के लिए तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा उत्तरों को अपलोड करना

महत्वपूर्ण और उभरते तकनीकी मामलों पर मार्गनिर्देश :

1. लागत लेखांकन मानकों पर इंड एस के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन

2. 'इंड एस 116 – लीजेज' और इंड एस 115 – रिवेन्यू रिकनिशन' की शुरुआत का प्रभाव विश्लेषण
3. वित्त लागत का व्यवहार
4. ब्याज डेबिट और ब्याज क्रेडिट का व्यवहार और निवल छूट
5. मिलान की मर्दे
6. क्षमता निर्धारण के संबंध में मामले
7. विभिन्न सी ए एस में परिभाषाओं का सरलीकरण
8. लागत सूचना तंत्र को पुनः देखने पर मंत्रालय का प्रतिनिधित्व
9. वार्षिक रिपोर्ट में लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए सामग्रियां और फार्मेट
- ✓ लेखा लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (सी ए ए एस बी)

- लॉकडाउन की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा और आश्वासन कार्यों पर परामर्श
- शेष एस सी ए के अनुमोदन के लिए संयुक्त सचिव, एम सी ए के साथ बैठक
- एस सी ए पर वेबइंट्स की सीरिज

✓ पी आर विभाग

- वैश्विक शिखर सम्मेलन 2020
- कार्य
- निवेशक जागरूकता कार्यक्रम
- समाचारपत्रों में विज्ञापन
- सामान्य
- सरकारी फोलोअप

✓ अध्यक्ष का कार्यालय

- वैश्विक शिखर सम्मेलन 2020 :
- मंत्रालयों, सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ पत्राचार
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तकनीकी सहायता
- इंस्टिट्यूट के सभी प्रमुख इवेंट के लिए सहायता

✓ क्षेत्रीय परिषद (काउंसिल) और चैप्टर समन्वयन समिति

- राज्य स्तरीय चैप्टर बैठकें
- वेबिनार
- नए चैप्टर

- सी एम ए एक्सटेंशन सेंटर
- अन्य क्रियाकलाप
- ✓ सदस्यता विभाग
 - वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान 1941 नए सदस्यों को एसोसिएट सदस्य बनाया गया और 444 सदस्यों को फेलोशिप के लिए भेजा गया।
 - सदस्यों द्वारा ऑनलाइन भुगतान करने पर सुविधा शुल्कों/ बैंक प्रभारों की माफी
 - सदस्यता संख्या के लिए जी एस टी नंबर शामिल करने के प्रावधान के साथ-साथ सदस्यों की सदस्यता शुल्क रसीदों में जी एस टी नंबर को दर्शाना।
 - बिना लॉग इन किए सदस्यता शुल्क का आनलाइन भुगतान करने की सुविधा शुरू करना।
 - प्रत्येक अवधि में सभी अंतिम रूप से पास अभ्यर्थियों को समिति के अध्यक्ष की ओर से स्वागत पत्र तथा सदस्यता फार्म भेज गए ताकि उन्हें इंस्टिट्यूट की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
 - सदस्यता और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस शीघ्र प्रदान करना।
 - ऑनलाइन सुविधा प्रदान करके सभी सदस्यता क्रियाकलापों को शामिल करते हुए बाधा रहित डिजिटल अनुभव के लिए निरंतर सुधार।
- ✓ आंतरिक समिति
 - जैसा कि कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत परिकल्पना की गई है, इंस्टिट्यूट की आंतरिक समिति की इस अवधि की वार्षिक रिपोर्ट इस प्रकार है :—
 - वर्ष में (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक) प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या : शून्य
 - लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मेगा कार्यशाला (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020): 01
- ✓ कैट (सी ए टी) निदेशालय
 - सी ए टी निदेशालय ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान यह सुनिश्चित किया कि कैट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों को बाधाओं के लिए समुचित सहायता प्रदान की जाती है और विद्यार्थियों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाता है। उन्होंने केरल राज्य एएसएपी बीएफएसआई विभागों के साथ सम्पर्क करने, आर सी और चैप्टर समन्वय समिति के साथ सहयोग करने में वेबिनारों का आयोजन करने में लॉकडाउन की अवधि के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई।
 - कैट निदेशालय के दिनांक 4 जून, 2020 को कैट पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों के लिए ई-लर्निंग का उद्घाटन किया गया।
 - दिनांक 13 सितंबर, 2020, रविवार को घर पर ऑनलाइन मोड में फाउंडेशन पाठ्यक्रम (प्रवेश स्तर) पार्ट-I, जुलाई, 2020 परीक्षा आयोजित की गई जो इसके विद्यार्थियों के लाभ के लिए इस प्रकार की पहली पहल थी।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

दि इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

योग्य मत

हमने इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (इंस्टिट्यूट) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के एक सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, योग्य मत पैरा के लिए आधार में दिए गए मामलों के प्रभावों को छोड़कर, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार, पूर्ण रूप से तैयार किए गए संलग्न वित्तीय विवरणों, दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इंस्टिट्यूट की वित्तीय स्थिति, उसके वित्तीय कार्य निष्पादन और तत्समय समाप्त वर्ष के लिए उसके नकद प्रवाह की, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) जारी लेखांकन मानकों के अनुसार एक सच्चा और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

योग्य मत का आधार

1. हक विलेख (टाइटल डीड)

(क) इंस्टिट्यूट से संबंधित अचल परिसंपत्तियों के हक विलेखों की मास्टर सूची में उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अतः हम इंस्टिट्यूट के नाम संपत्तियों की कुल संख्या पर कोई भी टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ख) हम इंस्टिट्यूट द्वारा धारित अचल परिसंपत्तियों के हक विलेखों का सत्यापन नहीं कर सके।

2. हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पता चला है कि कोलकाता मुख्यालय और दिल्ली कार्यालय में कोई भी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का रजिस्टर नहीं रखा गया है। क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के संबंध में इस संबंध में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

3. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कोलकाता मुख्यालय और दिल्ली कार्यालय में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

4. कोविड-19 महामारी के कारण और उसके बाद सरकारों द्वारा लॉकडाउन के कारण मुख्यालय और दिल्ली कार्यालय में वर्ष के दौरान वस्तु सूचियों का वर्ष के अंत का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

5. वर्ष के दौरान मुख्यालय और दिल्ली कार्यालय में कोई भी आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

6. क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के पास वर्तमान लेखों के तहत 18,16,78,366 (निवल जमा) को बिना मिलान की गई राशि दर्शाई गई है।

7. इंस्टिट्यूट के पास तीन वर्ष से अधिक समय से 16,55,979/- की गैर-विशिष्ट जमा राशि बकाया है। इस राशि की प्रकृति निर्धारित नहीं की जा सकती।

8. इंस्टिट्यूट ऑफ कास्ट एंड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ई आर आर सी) के संबंध में, जैसा कि संबंधित लेखा परीक्षकों ने बताया है और जैसा कि लेखों के नोट से भी स्पष्ट है, 4620411 रु. की कुल व्यापार प्राप्य राशि में से 12,29,729/- राशि आठ वर्ष से भी अधिक समय की है, जिसके लिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है (वित्तीय विवरणों के नोट का नोट 8(iii) (क) देखें)।

9. अन्य अग्रिम राशि में एम सी ए, भारत सरकार द्वारा अनुमत न किए जाने के कारण पूर्व परिषद सदस्यों से बकाया 1,36,097/- रु. शामिल है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टिट्यूट (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा संबंधी मानकों (एस ए) के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारी आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी में विनिर्दिष्ट की गई है। हम ऐसी नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार संस्थान के स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित है और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं! हमारा विश्वास

है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

मामले का बल

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं :—

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यू आई आर सी) के संबंध में, जैसा कि संबंधित लेखा परीक्षक ने सूचित किया और साथ ही लेखों के नोट से भी स्पष्ट है :—

- (i) एफ डी ए पी एल और 67,30,000/— का प्राप्य दावा पक्षकार द्वारा विवादित है, जो परिषद द्वारा पूरी तरह से वसूलनीय माना गया है। इसी प्रकार, 67,30,000/— का संदिग्ध दावा — एफ डी ए पी एल वर्तमान देयताओं के तहत दर्शाया गया है, जिसके लिए डब्ल्यू आई आर सी को पक्षकार से, भुगतान के लिए अनुस्मारक प्राप्त हुए हैं (वित्तीय विवरणों में नोट का नोट 8(ii) (2) देखें)।
- (ii) ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड द्वारा ग्रेच्यूटी की देनदारी का वास्तविक मूल्यांकन करने व किए जाने के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के पास समूह ग्रेच्यूटी योजना के तहत प्रीमियम के वास्तविक भुगतान और ग्रेच्यूटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के संशोधन के कारण देनदारी बढ़ने के कारण अतिरिक्त अंशदान के आधार पर है। (वित्तीय विवरणों के नोट का नोट 8(ii) (4) देखें)।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां :

इंस्टिट्यूट का प्रबंधन लागत एवं संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और इन्हें पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करने तथा ऐसे आंतरिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, जैसा प्रबंधन आवश्यक समझे, ताकि ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार किया जा सके, जो गलत बयानों से मुक्त हो, चाहे वे धोखाधड़ी से अथवा चूक से हो।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन लाभकारी संख्या के रूप में जारी रहने में संस्थान की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी संस्था से संबंधित मामलों को यथा लागू प्रकट करने तथा लाभकारी संख्या का लेखांकन के आधार पर तब तक उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन संस्थान का परिसमापन करने अथवा उसका प्रचालन बंद करने का इच्छुक न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य तर्कसंगत विकल्प न हो।

प्रबंधन इंस्टिट्यूट की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया को देखने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात के लिए तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत बयानी से युक्त हैं तथा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हैं और लेखा परीक्षक की ऐसी रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एंड उच्चस्तरीय आश्वासन हैं लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार आयोजित कोई लेखा परीक्षा यदि कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी मौजूद हो तो उसका हमेशा पता लगा लेती है। गलत बयानी धोखाधड़ी अथवा चूक से हो सकती है और वह महत्वपूर्ण समझी जाती है, यदि अलग अलग अथवा समग्र रूप से वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी तर्कसंगत संभावना हो सकती है।

लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षक के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय प्रदान करते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बना कर रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा चूक के कारक हों, ऐसे जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया का निष्पादन करते हैं और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम, जो धोखाधड़ी से है, चूक के परिणामस्वरूप जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिली भगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रिया करने के लिए जानकारी प्राप्त करना जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन इंस्टिट्यूट के आंतरिक नियंत्रण की वैसी प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं हो।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और लेखांकन अनुमानों का तर्कसंगत होना और प्रबंधन द्वारा किए गए संगत प्रकटीकरण करना।
- प्रबंधन द्वारा लाभकारी संस्था का लेखांकन आधार पर और प्राप्त लेखा परीक्षा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर समुचित उपयोग करने के संबंध में यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी परिस्थितियों अथवा स्थितियों के संबंध में अनिश्चितता मौजूद है, जिससे एक लाभकारी संस्था के रूप में संस्थान द्वारा कार्य करना जारी रखने की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक पर्याप्त अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संगत प्रकटीकरणों के लिए हमारी लेखा परीक्षण की रिपोर्ट में इसका उल्लेख करना अपेक्षित होता है अथवा यदि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भविष्य की परिस्थितियां अथवा स्थितियां संस्थान को लाभकारी संस्था के रूप में जारी न रखने के कारण हो सकती हैं।
- समग्र प्रस्तुति, संरचना और वित्तीय विवरणों के अंश का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण शामिल है और क्या वित्तीय विवरणों में विशिष्ट लेन देन और आयोजन इस ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं कि वह उचित प्रस्तुति है।

हमारे शासन के अन्य मामलों के बीच लेखा परीक्षा की योजना के दायरे और लेखा परीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में ऐसी महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है।

अन्य मामले

- 1 (क) हमने चार क्षेत्रीय परिषदों तथा तिरासी चैप्टरों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनमें वित्तीय विवरणों में 1,72,93,65,859/- रु. की कुल परिसंपत्तियां और वित्तीय विवरणों के अनुसार 47,85,44,885/- रु. का कुल राजस्व दर्शाया गया है। इन क्षेत्रीय परिषदों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, संबंधित क्षेत्रीय परिषदों द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और इन अधिकांश चैप्टरों को वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा लागत और सकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के विनियम 133 के अनुसार और इंस्टिट्यूट, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, के चैप्टर उप नियमों के क्लॉज 26 के अनुसार चैप्टरों के शासी निकायों द्वारा नियुक्त लागत लेखाकारों लेखा परीक्षा की गई है और वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के संबंध में शामिल धनराशि और प्रकटन का संबंध है और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी राय, जहां तक इन उपरोक्त परिषदों और चैप्टरों के संबंध में शामिल धनराशि और प्रकटन का संबंध है, अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखाकारों की रिपोर्ट पर हो आधारित है।
- (ख) हमने यहां उपरोक्त पैरा (क) में शामिल सात चैप्टरों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं हुई है और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं तथा वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन चैप्टरों में शामिल की गई धनराशि और प्रकटन के संबंध में है और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह इन उपरोक्त चैप्टरों के संबंध में शामिल की गई धनराशि और प्रकटन के संबंध में है, केवल ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों
- (ग) इंस्टिट्यूट के एक वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के बाइस चैप्टरों के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनकी और कोई भी वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।
- (घ) इंस्टिट्यूट के वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में चौहत्तर चैप्टर शामिल हैं, जिनकी लेखा परीक्षा लागत लेखाकारों द्वारा की गई थी।

उपरोक्त वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी अपेक्षाओं पर हमारी राय, किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के संबंध में उपरोक्त मामलों पर संशोधित नहीं की गई है।

2. पूंजीगत कार्य प्रगति पर

ऐसे प्रगति पर पूंजीगत कार्य लंबित हैं, जिनके लिए संस्थान द्वारा एक विचारणीय समय अवधि के लिए आगे कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिनकी सूची नीचे दी गई है :

विवरण	धनराशि (रु.)	कब से लंबित / अभियुक्ति
उत्कृष्टता केन्द्र अजमेर	60,28,800	2010 से पूर्व
जयपुर चैप्टर	30,11,000	2016 के बाद से कोई कार्य नहीं पाया गया
हैदराबाद उत्कृष्टता केन्द्र	10,37,781	वर्ष 2015 में एच सी ई बिल्डिंग में फायर हाइड्रेंट और स्प्रिंकलर सिस्टम की आपूर्ति और संस्थापना की लागत के कारण व्यय हुई धनराशि को दर्शाता है।
जयपुर उत्कृष्टता केन्द्र	62,962	दिनांक 31/03/2017 को डोलफिन इंजीनियर को मृदा जांच के लिए भुगतान किया गया। उसके बाद से अब तक कोई अन्य कार्य नहीं किया गया है।
नवी मुंबई उत्कृष्टता केन्द्र	4,99,78,350	दिनांक 13 जुलाई, 2016 को अंतिम राशि 524750/- रुपए भुगतान की गई थी और 17 अगस्त, 2016 को गुलराज निर्माण के लिए 22400/- रुपए का भुगतान किया गया। तथापि, आर्बिट्रेशन याचिका (एस टी) 7232/2017 के तहत बाम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष वाद लंबित है।
इलाहाबाद चैप्टर	5,05,360	वर्ष 2012 में लीज होल्ड आधार पर अर्जित वाणिज्यिक हॉलों के पंजीकरण शुल्क के लिए भुगतान
कुल	6,06,24,253	

3. जैसा की संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है कि लेखों के नोट से भी स्पष्ट है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ई आई आर सी) के संबंध में :-

- भारतीय स्टेट बैंक से पट्टा किराए के संबंध में वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त 41,98,369/- रु. की धनराशि, जो 01.01.2013 से लंबित थी लेकिन उस किराया आय की सेवा पर कोई जी एस टी अभी तक वसूला नहीं गया है। (वित्तीय विवरणों के नोट के नोट 8 (iii) (ख) को देखें)।
- भारतीय स्टेट बैंक के साथ पांच वर्षों के पट्टा करार के तहत पट्टाकर्ता अर्थात् एस बी आई, 6 माह का किराया और सेवा प्रभार का अग्रिम भुगतान कब्जा लेने से पूर्व अथवा कब्जा लेते समय निःशुल्क वापसी योग्य प्रतिभूति जमा के रूप में करेगा। तथापि, ई आई आर सी ने अभी तक पट्टेदार से उस प्रतिभूति राशि की वसूली नहीं की है! अब ई आई आर सी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखों में इस धनराशि के लिए प्रावधान किया है। (वित्तीय विवरणों के नोट के नोट 8 (iii) (ग) को देखें)।

अन्य नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

उपरोक्त पैरा में हमारी सिफारिशों के अलावा हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :-

- यहां उपरोक्त योग्य राय पैरा के लिए आधार में विनिर्दिष्ट मामलों के प्रभावों के अलावा, हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, कुछ छोटे चैप्टरों को छोड़कर हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।
- योग्य राय पैरा और यहां ऊपर दिए गए 'अन्य मामले' पैरा के पैरा 1 के लिए आधार में, वर्णित मामलों के प्रभावों के अलावा, हमारी राय में, कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा बहियों को संस्थान द्वारा रखा गया है, जो उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से पर्याप्त रिटर्न ऐसे क्षेत्रों और चैप्टरों से प्राप्त हुए हैं, जिनको हमने नहीं देखा है।

- ग. इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के लेखों पर रिपोर्ट की संबंधित क्षेत्रों और चैप्टरों के लेखा परीक्षकों/ लागत लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जैसा कि हमें प्राप्त हुआ है, और इस रिपोर्ट को तैयार करने में समुचित विचार किया गया।
- घ. इंस्टीट्यूट का तुलन पत्र, आय और व्यय का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण, जिनका इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, लेखा बहियों के अनुसार है।

कृते, रे एंड रे
चाटर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण सं. 301072ई)

स्थान : कोलकता,
दिनांक : 20 सितंबर, 2020

(आशीष कुमार मुकोपाध्याय)
भागीदार

सदस्य सं. 056359

(यू डी आई एन 20056359एएएएटी5555)

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र				
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	विवरण	नोट	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
			रु.	रु.
	निधि का स्रोत			
	संस्थान निधि :			
2,90,65,64,207	सामान्य निधि	(1)		3,28,82,67,556
18,15,482	कर्मचारी उपदान निधि	(2)		13,61,970
85,77,189	विविध पुरस्कार निधि	(3)		1,05,90,087
2,75,74,582	अन्य निधि	(4)		3,93,02,024
29,17,83,067	अन्य देयताएं	(5)		36,69,04,589
90,78,227	प्रावधान	(6)		1,74,85,331
3,24,53,92,754	कुल			3,72,39,11,557
	निधियों का उपयोग			
	परिसंपत्तियां			
66,44,22,082	क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	(7)	66,36,12,754	66,36,12,754
18,66,167	ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	(7)	33,40,195	33,40,195
8,31,23,206	पूंजीगत कार्य प्रगति पर			6,49,48,643
11,11,50,750	निवेश	(8)		11,11,50,750
	चालू परिसंपत्तियां			
86,25,277	वस्तु सूची	(9)	1,85,93,985	
12,14,99,947	व्यापार प्राप्य	(10)	13,65,48,298	
2,20,54,17,864	नकदी और बैंक शेष	(11)	2,66,93,74,915	
4,92,87,461	ऋण और अंतिम	(12)	5,63,42,017	
			2,88,08,59,215	

2,38,48,30,549			2,88,08,59,215
3,24,53,92,754	कुल		3,72,39,11,557
	लेखों पर टिप्पणियां	(20)	
संलग्न नोट 1-20 वित्तीय विवरणों के भाग हैं			
हमारी संलग्न के अनुसार अनुसार यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है। कृते रे एंड रे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. : 301072ई सीएमए सोमा बनर्जी विभाग अध्यक्ष (वित्त) सीएमए कौशिक बनर्जी सचिव आशीर्ष कुमार मुखोपाध्याय भागीदार ससदस्यता सं. : 056359 स्थान : कोलकता दिनांक : सीएमए बिस्वरूप बासू उपाध्यक्ष सीएमए बलविंदर सिंह अध्यक्ष			

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा			
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	नोट	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.			रु.
	आय :		
4,73,81,067	सदस्यता एवं अन्य शुल्क	(13)	4,81,68,453
65,13,03,460	शिक्षण एवं अन्य शुल्क	(14)	78,31,58,351
16,45,53,505	परीक्षा एवं अन्य शुल्क	(15)	19,96,20,102
2,54,37,450	सी पी डी एवं अन्य कार्यक्रम शुल्क		3,01,30,511
7,70,504	पत्रिका के अंशदान के लिए विज्ञापन सहित		6,82,934
8,72,270	प्रकाशन की बिक्री		5,60,108
14,79,12,045	ब्याज		16,86,20,003
95,79,256	अन्य आय		89,93,898
1,04,78,09,557	कुल:		1,23,99,34,360
	व्यय:		
22,37,81,686	स्थापना	(16)	29,17,53,676
13,39,63,700	कार्यालय व्यय	(17)	13,83,53,610
16,90,365	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क		17,24,280
1,61,51,166	यात्रा एवं वाहन		1,15,15,185
9,88,46,173	परीक्षा व्यय	(18)	11,94,75,491
2,70,55,484	परिषद् एवं समिति की बैठकों का व्यय		2,61,91,773
1,40,836	ट्रिब्यूनल सहित चुनाव का खर्च		1,24,84,257
87,29,687	पत्रिका व्यय		91,34,964
55,62,372	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान		84,86,308
74,90,782	सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकें		58,81,173
3,85,67,088	सी. पी. डी. तकनीकी कौशल विकास एवं अन्य कार्यक्रम व्यय	(19)	3,77,70,833

1,34,99,062	व्यावसायिक विकास व्यय		1,05,30,783
12,70,57,527	कोचिंग व्यय		12,90,47,748
3,38,00,037	अध्ययन सामग्रियों एवं विवरणों की खपत		2,44,07,259
2,17,160	प्रकाशन सामग्री की खपत		1,92,465
61,79,406	बट्टे — खाते में डाली गई अन्य परिसंपत्तियां (स्टॉक एवं देनदार)		19,36,746
5,40,79,724	मूल्यहास		5,60,23,237
79,68,12,255	कुल		88,49,09,788
25,09,97,302	व्यय से अधिक आय होने के कारण आधिक्य शेष राशि जो आगे ले जाई गई है		35,50,24,572
(2,58,479)	अवधि पूर्व समायोजन (निवल)	(19A)	(54,78,292)
25,07,38,823	सरप्लस शेष रहने पर सामान्य निधि में अंतरित		34,95,46,280
संलग्न नोट 1-20 वित्तीय विवरणों के भाग हैं			
हमारी संलग्न के अनुसार अनुसार यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है।			
कृते रे एंड रे			
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स			
फर्म पंजीकरण सं. : 301072ई			
		सीएमए सोमा बनर्जी	सीएमए कौशिक बनर्जी
		विभाग अध्यक्ष (वित्त)	सचिव
आशीर्ष कुमार मुखोपाध्याय		सीएमए बिस्वरूप बासू	सीएमए बलविंदर सिंह
भागीदार		उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
ससदस्यता सं. : 056359			
स्थान : कोलकता			
दिनांक :			

दि इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया		
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप नोट (जारी)		
नोट सं. .1 : सामान्य निधि		
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
2,73,28,61,414	पूर्ववर्ती लेखों के अनुसार शेष	2,90,65,64,207
	जोड़े :	
2,71,99,275	i) चेप्टर की भूमि और भवन का पंजीकरण	2,62,91,000
-	ii) कोचीन चैप्टर के भवन का पूंजीकरण	27,62,427
2,76,00,60,689		2,93,56,17,634
2,76,00,60,689		2,93,56,17,634
9,72,90,297	घटाएं — पूणे की भूमि और भवन के लिए समायोजन	-
-	घटाएं — कोचीन चैप्टर के भवन के लिए समायोजन	27,62,427
1,00,00,000	घटाएं — सदस्य हितकारी निधि को स्थानांतरित	-
4,55,000	घटाएं : 57वें एनसीसी शेष का समायोजन	-
35,09,992	जोड़े : प्रवेश शुल्क (सदस्य)	31,03,642
2,65,58,25,384		2,93,87,21,276
25,07,38,823	जोड़े : आय और व्यय लेखों के अनुसार वर्ष के लिए निवल अधिशेष	34,95,46,280
2,90,65,64,207	कुल	3,28,82,67,556

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप नोट (जारी)

नोट सं. 2 :

कर्मचारी उपदान निधि

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
14,54,430	पूर्ववर्ती तुलनपत्र के अनुसार शेष	18,15,482
2,96,209	जोड़े : वर्ष के लिए अंशदान	4,46,886
17,50,639		22,62,368
74,013	जोड़ें : वर्ष के लिए निधि की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	67,002
-	घटाएं : किया गया अनुदान	9,58,230
9,170	घटाएं : वर्ष के दौरान सामान्य निधि की अंतरित शेष	9,170
18,15,482	कुल	13,61,970

नोट सं. 3 :

विविध पुरस्कार निधि

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
83,75,218	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	85,77,189
64,549	जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	14,08,791
2,62,616	जोड़े : वर्ष के दौरान हुई आय	6,66,272
(1,25,194)	घटाएं : पुरस्कार की लागत	(62,165)
85,77,189	कुल	1,05,90,087

नोट सं.4 :

अन्य निधि

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
रु.		Rs.
1,10,598	भवन निधि	5,59,371
22,800	पुस्तकालय निधि	46,000
2,74,41,184	विविध निधि	3,86,96,653
2,75,74,582	कुल	3,93,02,024

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप नोट (जारी)

नोट सं. 5 :

वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
22,78,701	लाइब्रेरी जमा	31,21,975
4,36,52,760	व्यापार प्राप्य	2,85,33,387
5,39,17,615	आर सी एवं चैप्टर के पास चालू खाता	18,16,78,366
18,57,85,997	अन्य देनदारियां	14,93,78,944
61,47,994	डी डी एस देय	41,91,917
29,17,83,067	कुल	36,69,04,589

नोट सं. 6 :

प्रावधान

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
90,78,227	प्रावधान	1,74,85,331
90,78,227	कुल	1,74,85,331

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरण के भाग स्वरूप नोट

नोट सं. 7 :

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.19 को प्रारंभिक लागत	अवधि के दौरान अभिवृद्धि	घटाएं : अवधि के दौरान अचल परिसंपत्तियों की बिक्री / समायोजन	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार कुल	01.04.2019 तक	वर्ष के लिए	जोड़ें / घटाएं : वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास समायोजन	31.03.2020 तक	इस वर्ष 2019-20	विगत वर्ष 2018-19
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.
मूर्त परिसंपत्तियों :										
फ्रीहोल्ड भूमि	16,07,93,820			16,07,93,820	-	-		-	16,07,93,820	16,07,93,820
लीज होल्ड भूमि	6,44,84,501	2,79,487		6,47,63,988	80,21,842	8,32,057		88,53,899	5,59,10,089	5,64,62,659
फ्रीहोल्ड भवन	66,70,34,375	3,65,44,477		70,35,78,852	31,30,84,587	3,87,17,895	(1)	35,18,02,481	35,17,76,371	35,39,49,788
फर्नीचर और फिटिंग्स	7,75,52,092	79,43,469		8,54,95,561	3,87,48,248	46,00,853	81,285	4,34,30,386	4,20,65,175	3,88,03,844
पुस्तकालय की पुस्तकें	1,16,43,928	5,13,595		1,21,57,523	1,12,26,528	3,90,422	(64,114)	1,15,52,836	6,04,687	4,17,400
कार्यालय उपस्कर	8,62,80,391	85,80,098		9,48,60,489	4,96,13,599	63,88,402	17,93,046	5,77,95,047	3,70,65,442	3,66,66,792
जेनरेटर्स	1,60,46,364	30,791	-	1,60,77,155	87,28,424	11,37,238	(1,92,233)	96,73,429	64,03,726	73,17,940

लिफ्ट	1,40,63,133			1,40,63,133	74,27,867	9,95,290		84,23,157	56,39,976	66,35,266
मोटर कार	7,40,503			7,40,503	5,90,220	22,542		6,12,762	1,27,741	1,50,283
कंप्यूटर	5,60,64,435	10,75,525		5,71,39,960	5,28,40,145	20,88,064	(10,13,976)	5,39,14,233	32,25,727	32,24,290
साइकिल	8,368			8,368	8,368	-		8,368	-	-
कुल क	1,15,47,11,910	5,49,67,442	-	1,20,96,79,352	49,02,89,828	5,51,72,763	6,04,007	54,60,66,598	66,36,12,754	66,44,22,082
अमूर्त परिसंपत्तियां :										
सॉफ्टवेयर	4,12,78,630	28,08,709		4,40,87,339	3,94,12,463	8,50,474	4,84,207	4,07,47,144	33,40,195	18,66,167
कुल ख	4,12,78,630	28,08,709	-	4,40,87,339	3,94,12,463	8,50,474	4,84,207	4,07,47,144	33,40,195	18,66,167
	1,19,59,90,540	5,77,76,151	-	1,25,37,66,691	52,97,02,291	5,60,23,237	10,88,214	58,68,13,742	66,69,52,949	66,62,88,249
विगत वर्ष	1,15,07,36,244	7,48,84,882	(2,62,43,428)	1,19,59,90,540	48,32,59,364	5,40,79,724	(76,36,797)	52,97,02,291	66,62,88,249	66,74,76,880
पूँजीगत कार्य प्रगति पर									6,49,48,643	8,31,23,206

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप नोट (जारी)

नोट सं. 8 :

गैर-उद्धृत निवेश (लागत वर्ष)

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
	सहकारी न्यास के शेयर :	
500	10 रु. प्रत्येक के 50 शेयर	500
	रोहित चैम्बर प्रेमिसेंस को:आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई (पूर्व में जय बृंदावन प्रीमिसिस ट्रस्ट फंड, बाम्बे के रूप में वर्णित)	
11,00,00,000	आई सी ए आई के दिवालिया व्यवसायिक एजेंसी में निवेश (10 रु. प्रत्येक के प्रदत्त शेयर की संख्या 1,10,00,000)	11,00,00,000
11,00,000	आर वी ओ में निवेश	11,00,000
50,250	- अन्य	50,250
11,11,50,750	कुल	11,11,50,750

नोट सं. 9 :

वस्तु सूची

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
रु.		रु.	रु.
24,71,199	- प्रकाशन स्टॉक (लागत पर)		39,13,431
6,980	- पेपर स्टॉक (लागत पर)		5,765
43,46,437	- विवरणिका स्टॉक सहित अध्ययन सामग्री (लागत पर)		1,30,70,992
18,00,661	- अन्य सामग्री का स्टॉक (लागत पर)		16,03,797
86,25,277	कुल		1,85,93,985

नोट सं. 10 :

व्यापार और अन्य प्राप्य

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
रु.		रु.	रु.
4,22,12,546	व्यापार प्राप्य	4,53,47,285	
-	घटाएं : संदेहास्पद कर्जदारों के लिए प्रावधान	-	4,53,47,285
7,92,87,401	अन्य प्राप्तव्य		9,12,01,013
12,14,99,947	कुल		13,65,48,298

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप नोट (जारी)

नोट सं. 11 :

नकदी और बैंक शेष

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	
रु.		रु.	रु.
	नकदी और बैंक शेष :		
11,25,674	नकदी हाथ में		11,35,445
	अनुसूचित बैंकों के पास शेष :		
10,98,70,442	चालू खाते में		24,77,15,305
5,21,63,099	बचत खाते में		6,36,87,419
2,04,22,58,649	बैंकों के पास सावधि जमा :		2,35,68,36,746
2,20,54,17,864	कुल		2,66,93,74,915

नोट सं. 12 :

ऋण और अग्रिम

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
91,50,288	अन्य अग्रिम	1,60,60,936
3,03,695	कर्मचारियों को त्र्यौहार अग्रिम	5,35,825
3,26,68,069	टी डी एस प्राप्ति	2,82,36,196
17,00,631	पूर्व प्रदत्त खर्च	58,80,816
54,64,778	जमा	56,28,244
4,92,87,461	कुल	5,63,42,017

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप नोट (जारी)

नोट सं.13 :

सदस्यता और अन्य शुल्क :

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
3,89,52,486	वार्षिक सदस्यता शुल्क	3,90,83,132
82,06,267	सदस्यों का व्यवसाय प्रमाण पत्र शुल्क	84,85,505
-	ग्रेड सी डब्ल्यू ए शुल्क	-
92,370	सदस्यों की शिकायत / बहाली शुल्क / नामांकन शुल्क	3,83,664
-	प्रमाणित सुविधा केन्द्र शुल्क	-
83,324	सदस्यता और प्रमाणन शुल्क – आई एम ए (यू एस ए)	1,80,552
46,620	बेहतर स्थिति प्रमाण पत्र	35,600
4,73,81,067	कुल	4,81,68,453

नोट सं.14 :

शिक्षण और अन्य शुल्क :

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
2,33,05,560	छात्रों का पंजीकरण शुल्क	3,73,00,545
73,28,000	प्रायोगिक प्रशिक्षण पंजीकरण शुल्क	63,24,000
67,96,512	व्यावहारिक प्रशिक्षण / विषय छूट शुल्क	70,76,000
56,66,07,979	शिक्षण शुल्क	69,40,05,533
3,32,51,426	कैट कोर्स आय	3,23,78,200
83,63,400	कोचिंग पूरी करने संबंधी प्रमाण पत्र का पुनः वैधीकरण शुल्क	39,37,600
38,20,935	विवरणिका की बिक्री	14,17,000
17,91,148	अध्ययन नोट्स की बिक्री	6,64,473
38,500	डाक, कोचिंग, पुनर्वैधीकरण एवं नए सिरे से फार्मों की बिक्री	55,000
65,13,03,460	कुल	78,31,58,351

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप नोट (जारी)

नोट सं.15 :

परीक्षा और अन्य शुल्क :

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
15,88,91,616	परीक्षा शुल्क	19,54,59,802
56,58,389	उत्तर पत्रों की जांच के लिए शुल्क	41,60,300
3,500	परीक्षा प्रपत्रों की बिक्री	-
16,45,53,505	कुल	19,96,20,102

नोट सं. 16 :

स्थापना

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
18,53,26,499	वेतन और भत्ते	23,02,81,199
35,11,457	कर्मचारी ग्रेज्युटी फंड के लिए नियोक्ता का अंशदान	2,16,45,439
1,61,51,102	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	2,02,16,709
2,016	कर्मचारी हितकारी निधि में नियोक्ता का अंशदान	1,976
33,55,262	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण में नियोक्ता का अंशदान	48,46,734
55,19,942	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण—विद्यमान	37,88,134
56,83,331	चिकित्सा व्यय	81,25,398
10,94,490	कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता	8,80,164
10,25,603	आर पी एफ सी प्रशासन और ई डी एल आई निरीक्षण प्रभार	11,54,309
21,11,984	प्रशिक्षण और विकास (एच आर डी)	8,13,614
22,37,81,686	कुल	29,17,53,676

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप नोट (जारी)

नोट सं. 17 :

कार्यालय व्यय

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रु.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रु.
66,58,065	मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	58,70,873
75,73,571	डाक, तार, दूरभाष और फैक्स	1,02,53,169
17,64,655	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	13,41,095
1,09,91,630	विद्युत प्रभार	1,12,31,186
2,58,883	जेनेरेटर व्यय	2,17,191
25,25,917	दरें और कर	26,89,600
3,06,746	बीमा	4,99,704
91,35,454	मरम्मत और रख-रखाव व्यय	99,56,647
17,34,767	कार व्यय	14,23,357
12,570	जमानती जमा पर ब्याज	12,820
54,62,614	विधिक प्रभार	72,96,792
3,72,082	बैंक प्रभार	4,81,651
49,08,484	कंप्यूटर रख-रखाव व्यय	39,99,799
22,92,478	जन संपर्क व्यय	24,52,883
24,95,251	देखरेख संबंधी व्यय	27,47,453
6,54,803	पुस्तक एवं पत्रिकाएं	7,26,844
3,85,614	शिफ्टमंडल शुल्क	3,12,799
4,78,910	राजपत्र अधिसूचना	3,59,020
15,98,960	कर्मचारी कल्याण	22,84,918
68,80,611	किराया	81,43,953
5,98,45,123	प्रशासनिक प्रभार	6,03,64,965
76,26,512	विविध व्यय	56,86,891
13,39,63,700	कुल	13,83,53,610

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप नोट (जारी)

नोट सं. 18 :

परीक्षा व्यय

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
2,83,40,983	परीक्षा व्यय	3,63,99,442
4,04,55,241	परीक्षक का पारिश्रमिक	4,68,97,852
2,58,39,234	परीक्षा केन्द्र व्यय	3,12,97,234
7,98,789	मौखिक कोचिंग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा व्यय	9,93,016
34,11,926	पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण व्यय	38,87,947
9,88,46,173	कुल	11,94,75,491

नोट सं. 19 :

सी पी डी कार्यक्रम व्यय एवं तकनीकी

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
79,85,781	सीपीडी व्यय	91,43,755
7,15,169	परियोजना व्यय	45,500
69,12,746	सर्वोत्तम चैप्टर पुरस्कार सहित राष्ट्रीय पुरस्कार	9,43,520
97,59,392	क्षेत्रीय लागत/राष्ट्रीय सम्मेलन व्यय	1,05,37,449
1,11,77,364	सीपीडी व्यय- आरसी/चैप्टर	1,49,69,489
20,16,636	तकनीकी कौशल विकास	21,31,120
3,85,67,088	कुल	3,77,70,833

नोट सं. 19क :

अवधि से पूर्व से पूर्व का समायोजन

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
	अवधि से पूर्व की आय	
1,04,047	मुख्यालय	22,18,757
37,68,426	ई आई आर सी	-
3,35,157	एन आई आर सी	-
91,925	डब्ल्यू आई आर सी के चैप्टर	200
12,03,815	एस आई आर सी के चैप्टर	(7,57,578)
10,100	एन आई आर सी के चैप्टर	1,81,065
55,13,470	कुल (क)	16,42,444
	अवधि से पूर्व की व्यय	
35,14,329	मुख्यालय	56,07,415

10,41,608	ई आई आर सी	11,800
7,70,573	एन आई आर सी	3,94,171
2,63,345	डब्ल्यू आई आर सी के चैप्टर	2,63,607
1,29,644	एस आई आर सी के चैप्टर	8,24,943
52,450	एन आई आर सी के चैप्टर	18,800
57,71,949	कुल (ख)	71,20,736
(2,58,479)	अवधि से पूर्व का समायोजन (क-ख)	(54,78,292)

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया			
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण			
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.	रु.
	प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
25,07,38,823	कराधान से पूर्व निवल अधिशेष एवं असाधारण मद	34,95,46,280	
5,40,79,724	जोड़ें : मूल्यह्रास	5,60,23,237	
30,48,18,547	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन अधिशेष	40,55,69,517	
2,93,56,341	चालू देनदारियों में वृद्धि	8,35,28,626	
2,06,563	चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि	3,20,71,615	
2,91,49,778		5,14,57,011	
33,39,68,325	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी		45,70,26,528
	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
64,24,437	सावधि परिसंपत्तियों की खरीद	1,75,09,863	
(11,00,000)	निवेश में कमी	-	
53,24,437	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी		1,75,09,863
	वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
(6,94,98,856)	पूंजी में वृद्धि	(1,05,79,340)	
(6,94,98,856)	वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी		(1,05,79,340)
26,97,93,906	नकदी और नकदी के समतुल्य में निवल वृद्धि		46,39,57,051
1,93,56,23,958	जोड़ें - अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		2,20,54,17,864
2,20,54,17,864	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य		2,66,93,74,915
11,25,674	नकदी	11,35,445	
2,04,22,58,649	सवधि जमा	2,35,68,36,746	
10,98,70,442	बैंक में शेष - चालू खाता	24,77,15,305	
5,21,63,099	बैंक में शेष - बचत खाता	6,36,87,419	
2,20,54,17,864		2,66,93,74,915	

दि इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
 वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर नोट

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आधार

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः सहमत लेखांकन सिद्धांतों, लागू लेखांकन मानकों और लागत तथा संकर्म लेखांकार अधिनियम, 1959 में यथासंशोधित प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को लाभकारी संस्था के संबंध में ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और जब तक अन्यथा न कहा गया हो, वास्तविक आधार पर तैयार किया गया है।

समेकन का आधार

मुख्यालय (कोलकता), नई दिल्ली कार्यालय, इसकी क्षेत्रीय परिषदों तथा चैप्टरों के वित्तीय विवरणों को, परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्य के आंकड़ों, सभी इन्ट्रा ग्रुप शेष को समाप्त करने के बाद आय और व्यय, इन्ट्रा ग्रुप लेन-देनों और परिणामस्वरूप अप्राप्त सरप्लस/ कमी के आंकड़ों को शामिल करके समेकित किया गया है। अपेक्षानुसार आवश्यक समायोजन किए गए हैं

प्रवेश शुल्क

सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत किया गया है।

पंजीकरण शुल्क

छात्रों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क को छात्र का पंजीकरण होते ही राजस्व आय के रूप में माना गया है।

दि इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

राजस्व मान्यता

इंस्टिट्यूट निम्नलिखित के आधार पर आय की महत्वपूर्ण मदों का मान्य करता है :

क) सदस्यों का अंशदान

सदस्यता अंशदान को उस वर्ष में मान्य किया जाता है, जिस वर्ष से ये संबंधित है।

ख) शिक्षण और अन्य शुल्क

छात्रों के पंजीयन के साथ ही पोस्टल और मौखिक शिक्षण शुल्क के संबंध में मान्य किया जाता है।

ग) प्रकाशन की बिक्री

प्रकाशनों के किसी उपयोक्ता को किसी कीमत पर हस्तांतरित किए जाने पर ऐसे प्रकाशन की बिक्री के संबंध में राजस्व को मान्य किया जाता है

घ) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क को ऐसी संबंधित अवधियों के लिए मान्य किया जाता है, जिस अवधि से ये संबंधित है

ङ) अन्य

कार्यक्रम शुल्क से राजस्व को ऐसे क्रियाकलाप करने पर मान्य किया जाता है

च) ब्याज

बैंकों के पास सावधि जमाओं के संबंध में समान आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए प्राप्ति आधार पर मान्य किया जाता है।

छ) निवेशों से आय को, भुगतान की प्राप्ति का अधिकार प्रमाणित होने पर मान्य किया जाता है।

व्यय

व्यय को प्राप्ति आधार पर मान्य किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित मामलों के अलावा पोस्टल और मौखिक कोचिंग से संबंधित व्यय शामिल हैं :-

- i. चैप्टरों के वार्षिक अनुदानों को उनका वितरण किए जाने पर मान्य किया जाता है।
- ii. चुनाव व्यय को उस वित्तीय वर्ष में मान्य किया जाता है, जिस वर्ष में यह खर्च किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को लागत में से संचित मूल्यह्रास और निवल हानि, यदि कोई हो, को कम करके तय किया गया है। लागत में खरीद की कीमत और कोई अन्य लागत शामिल है, जो परिसंपत्ति को इसके अपेक्षित उपयोग के लिए इसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए की जाती है।

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जो लागत में से संचित परिशोधन और निवल हानि, यदि कोई हो, को कम करके तय किया गया है।

पूँजीगत कार्य प्रगति पर

ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया गया व्यय, जो उसके अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, उसे 'पूँजीगत कार्य प्रगति पर' के तहत लागत में से हानि, यदि कोई हो, को कम करके तय किया गया है।

मूल्यह्रास/ ऋण परिशोधन

- (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आय कर अधिनियम, 1961 के तहत ह्रासित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया गया है।
- (ख) लीजहोल्ड भूमि का बही मूल्य तथा उस पर भुगतान किया गया प्रीमियम पट्टा अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन पर ह्रास किया गया है। भूमि किराया, यदि कोई हो, उस वर्ष के व्यय के रूप में मान लिया गया है, जिसके लिए ये शुल्क देय हैं अथवा भुगतान योग्य हैं।
- (ग) लाइब्रेरी की पुस्तकों के लिए, जिस वर्ष में ये खरीदी गई हैं, उस वर्ष में मूल्यह्रास 40 किया गया है।

निवेश

दीर्घावधि निवेश को लागत पर माना गया है तथापि, जब दीर्घावधिक निवेश के मूल्य में एक स्थायी गिरावट हो तो संगत राशि की गिरावट को मान्य करने के लिए कम किया गया है।

वस्तु सूची

प्रकाशन स्टॉक, अध्ययन सामग्री तथा पेपर स्टॉक और विवरणिका स्टॉक इत्यादि को लागत अथवा निवल वसूली मूल्य से कम पर आंका जाता है। प्रकाशन की लागत और अध्ययन सामग्रियों की लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर और पेपर की लागत का निर्धारण फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (एफ आई एफ ओ) के आधार पर किया जाता है।

प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- i) किसी प्रावधान को तब मान्य किया जाता है :-
- (क) जब विगत इवेंट के कारण वर्तमान बाध्यता हो;

(ख) यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का आउटप्लो, बाध्यता को निपटाने के लिए अपेक्षित है; तथा

(ग) एक विश्वसनीय अनुमान को, बाध्यता की राशि से पूरा किया जा सकता है।

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

ii) कोई प्रावधान निम्नलिखित के लिए मान्य नहीं है :-

(क) कोई ऐसी संभव बाध्यता, जो विगत इवेंट से उत्पन्न हो और जिसकी मौजूदगी एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी इवेंट, जो संस्थान के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, के होने अथवा न होने से प्रमाणित होगी;

(ख) कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता, जो विगत इवेंट से उत्पन्न हो लेकिन मान्य नहीं की गई, क्योंकि यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों वाले संसाधनों का आउटप्लो, बाध्यता को निपटाने के लिए अपेक्षित होगा अथवा बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता।

ऐसी बाध्यताएं आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट की गई हैं। इनका आकलन नियमित अंतराल पर किया गया है और केवल बाध्यता के उस अंश का आकलन किया गया है, जिसके लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों का एक आउटप्लो केवल ऐसे अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर, संभावित है, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाए जा सकते।

विदेशी मुद्रा लेन देन

विदेशी मुद्रा में लेन देन, उस लेन देन को करने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया गया है। मौद्रिक मदों की सूचना तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित अंतिम दर का उपयोग करके दी जाती है। प्रारंभ में दर्ज/ सूचित मौद्रिक मदों के निपटान के संबंध में उत्पन्न विनिमय दर में अंतर को आय/ व्यय, जैसा भी मामला हो, के रूप में जिस अवधि में ये उत्पन्न हुए हैं, उस अवधि में अन्य और कम के विवरण में मान्य किया गया है।

कर्मचारी लाभ

i. अल्प कालिक लाभ

अल्प कालिक कर्मचारी लाभ को उस अवधि के दौरान दावा किए गए व्यय के रूप में मान्य किया गया है, जिसमें दावा न की गई राशि प्रदान की गई है।

ii. रोजगार उपरांत के लाभ

रोजगार के उपरांत के लाभ, जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण इत्यादि मुख्यालय, संबंधित क्षेत्रीय परिषदों तथा चैप्टरों को यथा लागू प्रदान किए गए हैं।

परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को संपत्ति के निहित मूल्य की हानियों के लिए समीक्षा की गई है। यदि इन परिसंपत्तियों की निहित राशि उनकी वसूलनीय राशि से अधिक होती है, तो हानियों को मान्य किया जाता है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

अवधि पूर्व आय/ व्यय

एक या अधिक पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में त्रुटियों अथवा चूकों के कारण वर्तमान अवधि में उत्पन्न अवधि पूर्व की मदों को आय और व्यय के विवरण में अलग से प्रकट किया गया है।

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

ख. लेखों पर नोट

1. इंस्टीट्यूट के समेकित वित्तीय विवरणों को कोलकाता मुख्यालय, नई दिल्ली कार्यालय, चार क्षेत्रीय परिषदों और तिरासी चैप्टरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिनमें से सात लेखे लेखा परीक्षित नहीं हैं यथा गोवा, कल्याण – अम्बरनाथ, भरुच – अंकलेश्वर, नेवेली, खड़कपुर, साउथ ओडिशा और कानपुर।

बाइस चैप्टरों, नामतः इन्दौर, देवास, जबलपुर, कच, गांधीधाम, रायपुर, सिंगरौली, भद्रावती – सिमोगा, गाजियाबाद, मैंगलोर, बरेली, देहरादून, जम्मू, जोधपुर, नया नांगल, पटियाला, अगरतला, हजारीबाग, जाजपुरक्योजार, जमशेदपुर, नेहाती, रांची, चन्द्रापुर और संभलपुर के लेखों के प्राप्त न होने के कारण इन्हें वर्तमान वर्ष में शामिल नहीं किया गया। तथापि, समेकित वित्तीय विवरणों के पूर्व वर्ष के आंकड़ों में इन चैप्टरों के विगत वर्ष के आंकड़े शामिल हैं (अनुलग्नक-I देखें)।

2. आकस्मिक देयता (जो प्रदान नहीं की गई)

क) नीति के तहत चिकित्सा व्यय (सामान्य, पैथोलोजी व्यय) की प्रतिपूर्ति कर्मचारियों को नीति में विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यक्षीन बिल प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाती है। नीति की शर्तों के अनुसार, अप्रयोज्य शेष राशि 4 वर्षों की अवधि के लिए संचित की जा सकती है।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, अप्रयोज्य शेष राशि, जो कर्मचारियों के खाते में जमा है, वह 44,99,498/- (विगत वर्ष में 49,14,003/-) है।

ख) वर्ष 2014 में ई आई आर सी के खिलाफ संविदात्मक कर्मचारियों द्वारा एक कानूनी वाद दाखिल किया गया है, जो अभी लंबित है। वर्ष के दौरान स्थिति में बदलाव नहीं आया है। मामले के अंतिम परिणामों के बाद लेखों में आवश्यक प्रभाव, यदि कोई हो, प्रदान किया जाएगा।

ग) वित्त अधिनियम, 1994 आर डब्ल्यू सी जी एस टी अधिनियम, 2017 के तहत, लागू ब्याज दंड 5,01,68,756/- रु. (विगत वर्ष में 5,01,68,756/- रु.) के साथ सेवा कर मांग 5,01,68,756/- रु. (विगत वर्ष में, 5,01,68,756/- रु.) है, जिसमें से 37,62,657/- रु. की राशि, जो मांग का 7.5 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान भुगतान कर दी गई है तथा "ऋण और अग्रिम" राशि के तहत 'सेवा कर जमा' के रूप में दर्शाई गई है।

घ) कोचीन चैप्टर के संबंध में :

- i) सी एफ ई द्वारा किए गए निर्माण कार्य के कारण पड़ोस के भवन की क्षति के लिए 19,38,785/- की राशि की मांग के लिए एक उप न्यायालय आदेश था। चैप्टर ने एर्नाकुलम जिला न्यायालय में एक अपील दाखिल की है और अंतिम आदेश के लंबित रहते 15,00,000/- की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर स्थगन याचिका प्राप्त की है।
- ii) 75,80,762/- राशि की कार्य संविदा के संबंध में फार्म आई ई ई (छूट फार्म) चैप्टर द्वारा ठेकेदारों से प्राप्त नहीं किया गया है। उपरोक्त कार्य ठेकेदारों से ऐसे फार्म प्राप्त नहीं करने के कारण कार्य संविदा कर देनदारी 6,06,461/- रु. तथा ब्याज होगी, जिसका लेखों में उल्लेख नहीं किया गया है।

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

3. आयकर के संबंध में छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 12क के तहत प्रदान की गई है, जो वित्त अधिनियम 2020 के नए प्रावधानों के तहत नवीकरण किए जाने के अध्वधीन है, अतः आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देनदारी के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।
4. इंस्टीट्यूट द्वारा रखी गई सभी पुरस्कार राशि लेखों में और तत्संबंधी सावधि जमा में संगत निवेशों के साथ शामिल की गई है। निधियों को विभिन्न दाताओं द्वारा प्रदान किया गया है।
5. 235,68,36,746/— रु. (विगत वर्ष में 204,22,58,649/—) की सावधि जमा राशि में विविध पुरस्कार और अन्य निधि के लिए 49,16,284/— (विगत वर्ष में 51,99,024/— रु.) शामिल है।
6. अन्य अग्रिम राशि में एम सी आई, भारत सरकार द्वारा अनुमति न देने के कारण पूर्व परिषद सदास्य से बकाया 1,36,097/— रु. (विगत वर्ष 1,36,097/— रु.) शामिल हैं और वर्तमान में मामला न्यायाधीन है।
7. सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क में निम्नलिखित शामिल हैं :-

सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (मुख्यालय)	(जी एस टी सहित)	रु. 4,95,217/—
--	-----------------	----------------
8. (i) मुख्यालय
 - क) द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट को भविष्य निधि का अंशदान प्रदान किया जाता है।
 - ख) ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) के तहत ग्रेच्युटी के संबंध में देनदारी को ग्रुप ग्रेच्युटी नीति से भारतीय जीवन बीमा निगम को दिए गए अंशदान के आधार पर मान्य किया जाता है।
 - ग) अवकाश नकदीकरण के संबंध में देनदारी को एल आई सी आई के पास रखी गई अनुमोदित अवकाश नकदीकरण निधि के आधार पर मान्य किया जाता है।
 - घ) 99,01,95,583/— रु. (विगत वर्ष 89,34,26,535/— रु.) की सावधि जमा राशि में 41,53,446/— रु. (विगत वर्ष में 29,18,957/— रु.) विविध पुरस्कार और अन्य निधि के लिए है।

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

(ii) डब्ल्यू आर आर सी

1. सी डब्ल्यू ए विनियमन 145 क के तहत काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा डब्ल्यू आई आर सी को जारी अनुदेशों का कार्यान्वयन

वर्ष 2013-14 की दावा संदिग्ध राशि 20,77,565/- और वर्ष 2014-15 की दावा संदिग्ध राशि 81,176/— रु. जो अनुसूची ग - चालू में दर्शाई गई देनदारियों और तदनुसूची एकल दावा प्राप्य राशि 21,58,741/— रु., जो दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूची-ड - चालू परिसंपत्तियों में दर्शाई गई है, वह अध्यक्ष, डब्ल्यू आई आर सी को सचिव (कार्यकारी) द्वारा दिनांक 18.01.2019 के पत्र सं. जी:142:01:2019 में जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर चालू वर्ष 2019-2020 के दौरान अभिशून्य की गई है।

यह अभिशूच्य की गई राशि सी डब्ल्यू ए अधिनियम 1959 और सी डब्ल्यू ए विनियमन, 1959 के प्रावधानों के अनुसार काउंसिल ऑफ इंस्टिट्यूट से नीचे उल्लिखित विभिन्न अनुदेशों के आधार पर प्रभावित की गई है।

दिनांक 28 जून, 2020 को आयोजित काउंसिल की 325वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार लागत और संकर्म लेखाकार विनियमावली, 1959 के विनियम 145 क के उल्लंघन के लिए डब्ल्यू आई आर सी को अनुदेश जारी किए गए हैं।

संगत मामले में काउंसिल के पूर्व निर्णय के संदर्भ में :-

दिनांक 7 मार्च, 2016 को आयोजित संस्थान की परिषद की 297वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार चैप्टरों और क्षेत्रों द्वारा मुख्यालय से जारी किए गए निर्देशों/ अनुदेशों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के मामले पर चर्चा की गई थी। काउंसिल के चैप्टरों और क्षेत्रों द्वारा मुख्यालय से जारी किए गए मार्गनिर्देशों और निर्देशों/ अनुदेशों का पालन न करने के मामले पर विचार किया है।

विस्तृत चर्चा के बाद :

"यह संकल्प लिया गया कि मुख्यालय द्वारा चैप्टरों और क्षेत्रों को जारी किए गए दिशानिर्देशों और अनुदेशों/ निर्देशों का पालन न करने के लिए संबंधित चैप्टर/ क्षेत्र को सचिव द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए 21 दिनों का नोटिस जारी किया जाएगा। यदि चैप्टर/ क्षेत्रीय परिषद द्वारा 21 दिनों के भीतर पालन नहीं किया जाता है तो उन्हें सचिव द्वारा मुखिया होने के नाते एक अवसर देते हुए प्रबंधन समिति को भंग करने के लिए आगे 21 दिनों का नोटिस दिया जाएगा।"

"यह भी संकल्प लिया गया कि यदि चैप्टर/ क्षेत्रीय परिषद उपयुक्त सुनवाई के बाद निर्देशों की अनुपालना न करना जारी रखता है तो उसे अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव द्वारा एक अधिसूचना जारी करके भंग किया जाएगा।"

इंस्टिट्यूट की परिषद की दिनांक 21 मई, 2016 को हुई 299वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, इस पर कार्रवाई रिपोर्ट के रूप में चर्चा की गई और इसमें यह संकल्प लिया गया :-

दि इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी - 20 (जारी)

"यह भी निर्णय लिया गया था कि क्षेत्रीय परिषद अथवा चैप्टर द्वारा मुख्यालय की अनुमति के बिना किए गए कानून व्यय, यदि कोई हो, संबंधित क्षेत्रीय परिषद अथवा चैप्टर के स्वीकृति अधिकारी के नामे डाले जाएंगे।"

परिषद की दिनांक 28 जून, 2020 की 325वीं बैठक के निर्णय के अनुसार परिषद के निदेश।

इंस्टिट्यूट की परिषद की दिनांक 17 और 18 मई, 2020 को आयोजित 324वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को सी डब्ल्यू ए विनियम 1959 के विमय 145 के तहत दिनांक 18 जनवरी, 2019 के पत्र के तहत जारी निदेशों की अनुपालना न रहने के लिए दिनांक 28 जून, 2020 को आयोजित 325वीं परिषद बैठक में सुनवाई के लिए बुलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें यह लिखा गया :

"लागत और संकर्म लेखापाल विनियमावली, 1959 के विनियम 145 क के अनुसरण में निर्देश।

द इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) - पश्चिमी परिषद (डब्ल्यू आई आर सी) द्वारा सी एम ए आशीष थाटे और सी एम ए नीरज जोशी के संबंध में प्रस्तुत किए गए डेबिट नोट में कोई मेरिट नहीं है और ये डेबिट नोट एतद्वारा निरस्त, रद्द किए जाते हैं और इन्हें आई सी ए आई की डब्ल्यू आई आर सी के लेखों से और

साथ ही द इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के समेकित लेखों से भी दिनांक 28/09/2018 से वापस लिए गए माने जाते हैं।"

आई सी ए आई की डब्ल्यू आई आर सी को एतद्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार अपनी खाता बही में आवश्यक प्रविष्टि को पारित करने का निदेश दिया जाता है ताकि डेबिट नोट को रद्द करने को प्रभावी किया जा सके और इस अनुदेश की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर लागत और संकर्म लेखापाल विनियमावली, 1959 के विनियम 145 क के तहत इस अनुदेश की अनुपालना की पुष्टि की जा सके।"

सुनवाई में, डब्ल्यू आई आर सी में प्रतिनिधि चार चुनिंदा परिषद सदस्यों नामतः सी एम ए नीरज डी जोशी, सी एम ए अश्विन जी दलवाड़ी, सी एम ए आशीष पी थाटे और सी एम ए देवाशीष मित्रा उपस्थित थे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में

उपस्थित होने के लिए, पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद के केवल कुछ सदस्यों ने ही अपनी उपलब्धता दिखाई। चूंकि सुनवाई में सदस्य उपस्थित नहीं थे, सचिव ने निदेश दिया कि पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद के प्रत्येक सदस्य से फोन पर संपर्क किया जाए ताकि वे अपने मामले को मौखिक रूप से बता सकें। कुछ सदस्यों ने काल सुनी और कुछ ने परिषद के निर्देशों की अनुपालना पर अपने विचारों के बारे में ई-मेल से लिखा।

विस्तृत चर्चा के बाद, परिषद ने यह निर्णय लिया कि चूंकि डब्ल्यू आई आर सी के सदस्य लागत और संकर्म लेखापाल विनियमावली, 1959 के विनियम 145 क के तहत दिनांक 18 जनवरी, 2019 के पत्र के तहत जारी परिषद के अनुदेशों का बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए एक कड़ा कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो और यह भी सुनिश्चित हो सके कि पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद के लेखे सच्चे और पारदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। तदनुसार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 15 (2) (i), लागत और संकर्म लेखापाल विनियमावली, 1959 के विनियम 93 (2), 93 (3) और 145 क के तहत इंस्टीट्यूट की परिषद द्वारा निम्नलिखित आदेश/ अनुदेश जारी किए गए।

मुख्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए लेखा और लेखा परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक डब्ल्यू आई आर सी के प्रशासन, वित्त और कानूनी कार्यों को अपने हाथ में लिया जाए। डब्ल्यू आई आर सी के लेखों को भी 1 माह की अवधि के भीतर मुख्यालय की देखरेख में अंतिम रूप दिया जाए।

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

इसके अलावा, डब्ल्यू आई आर सी के सभी अधिकारी और कर्मचारी अब से लेकर इस प्रक्रिया के पूरा होने तक वर्ष 2019-20 के लिए लेखों और लेखा परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में इंस्टीट्यूट के सचिव को सीधे रिपोर्ट करेंगे। वित्त प्रमुख को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए डब्ल्यू आई आर सी के लेखों को अपने अधिकार में लेने और उन्हें लेखा परीक्षित कराने के लिए अधिकृत किया गया था तथा सचिव को लेखों और वर्ष 2019-20 के अन्य सभी विवरणों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया था।

डब्ल्यू आई आर सी के चूककर्ता सदस्यों के खिलाफ लागत और संकर्म लेखापाल विनियमावली, 1959 के विनियम 145 क के तहत जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए तथा नियत तारीख को परिषद के समक्ष उपस्थित न होने के लिए अनुशासनिक मामला दायर करने का भी निर्णय लिया गया। सचिव को मामला निदेशक (अनुशासन) को भेजने के लिए निर्देश दिए गए थे।

इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया था कि विनियम 145 क के तहत परिषद द्वारा दिनांक 18.01.2019 के तहत जारी किए गए निर्देशों के संबंध में डब्ल्यू आई आर सी द्वारा दायर / बचाव किए गए किसी भी न्यायाधिकार मामले में डब्ल्यू आई आर सी द्वारा वहन किए गए कानूनी खर्चों को डब्ल्यू आई आर सी के पूर्व और वर्तमान सदस्यों से वसूला जाएगा, जो परिषद द्वारा दिनांक 21 मई, 2016 की 299वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में इसे अनुमोदित करेंगे, जो इस प्रकार है :-

यह भी निर्णय लिया गया था कि क्षेत्रीय परिषद अथवा चैप्टर द्वारा मुख्यालय के अनुमोदन के बिना किए गए कानूनी व्यय, यदि कोई हो, को क्षेत्रीय अथवा चैप्टर के संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी के नामे डाला जाएगा।

2. एफ डी ए पी एल से, अनुसूची-च – चालू परिसंतियों में दर्शाई गई 67,30,000/- रु. के वसूलनीय दावे पक्षकार द्वारा विवादित हैं। इसी प्रकार, अनुसूची-क (चालू देयताएं) में दर्शाई गई 67.30 लाख रु. की राशि दावा संदिग्ध – एफ डी ए पी एल में एफ डी ए पी एल को भुगतान योग्य 60.02 लाख रु. के शेष इनवायस की राशि शामिल है। डब्ल्यू आई आर सी को देय राशि के भुगतान के लिए पक्षकार से अनुस्मारक और माध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।
3. अनुसूची ग – चालू देयताओं में दर्शाई गई 4,20,707/- रु. की वसूलनीय राशि के लिए प्रावधान ए जी एम द्वारा अनुमोदन किए जाने पर पुरांकित किए जाएंगे क्योंकि यह भुगतान योग्य नहीं है।
4. परिषद ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक समूह ग्रेच्युटी योजना अपनाई है, तथापि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बीमांकित मूल्यांकन के अभाव में प्रीमियम का वास्तविक भुगतान और ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के संशोधन के कारण देनदारी में वृद्धि होने पर अतिरिक्त अंशदान को अनुसूची-झ में दर्शाई गई ग्रेच्युटी के प्रावधान के रूप में शामिल किया गया है।

(iii) ई आर आर सी

- क) दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 46,20,411.00 रु. के कुल विविध देनदारी में से 12,29,729.00 रु. की राशि आठ साल से भी अधिक समय की है।
- ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एस बी आई से पट्टा किराया के रूप में 41,98,369.00 रु. की राशि प्राप्त की गई जो 01.01.2013 से लंबित थी लेकिन उस किराया आय की सेवा पर अभी तक कोई जी एस टी वसूला नहीं गया है। इसके अलावा ई आर आर सी को वर्ष के दौरान एस बी आई से 12 माह के पट्टा किराए के लिए 19,20,000.00 रु. की कुल राशि प्राप्त हुई है, जो कि दिनांक 01.04.2019 से लंबित थी। अब ई आई आर सी ने माह वार जी एस टी का बिल तैयार किया है और उस किराया आय की सेवा पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वसूलनीय जी एस टी राशि के लिए भी प्रावधान किया गया है।

दि इस्टीमेट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

- ग) एस बी आई के साथ वर्तमान पट्टा करार दिनांक 01/04/2019 से 5 वर्षों के लिए 160,000 रु. प्रति माह की दर से (के एम सी कर और सरचार्ज सहित, जिसे स्वामी द्वारा वहन किया जाना है) लेकिन इसमें लागू जी एस टी शामिल नहीं है। उस करार के तहत, पट्टेदार अर्थात् एस बी आई द्वारा 6 माह के किराए और सेवा प्रभागों का अग्रिम भुगतान किया जाएगा, जो कब्जा लेने पर अथवा उससे पूर्व ब्याज रहित प्रतिभूति जमा के रूप में होगा। यह जमा राशि पट्टा समाप्त होने पर वापस की जा सकेगी। तथापि, ई आई आर सी ने अभी तक पट्टेदार से यह प्रतिभूति जमा राशि वसूली नहीं है। अब ई आर आर सी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवश्यक प्रभाव, यदि कोई है, लेखों में कर दिया है।
- घ) आकस्मिक देयता – कुछ पूर्व संविदा कर्मचारियों के इस्टीमेट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ई आई आर सी के खिलाफ वर्ष 2014 में एक कानूनी वाद दायर किया है, जो अभी लंबित है। वर्ष के दौरान स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। मामला बंद होने के बाद और अंतिम फैसले के अनुसार लेखों में आवश्यक प्रविष्टि, यदि कोई है, की जाएगी।
- ङ) डॉ. ए. एम. दुर्गा प्रसाद, अनुशासनिक समिति के पीठासीन अधिकारी द्वारा शिकायत सं. संख्या कॉम/21-सी डब्ल्यू ए (9) 2010 में जारी किए गए 27 मई, 2015 के आदेश के अनुसार लागत एवं संकर्म लेखापाल (व्यावसायिक एवं अन्य दुरुव्यवहार तथा मामलों के आचरण) नियमावली, 2007 के नियम 19 (1) के साथ पठित सीडब्ल्यूए अधिनियम, 1959 की धारा 21 ख (3) के अनुसार सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं।
- क. "सदस्य की प्रताड़ना
- ख. आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर दी जाने वाली संस्थान के ई आई आर सी को 61,461/- रुपए की पूरी राशि तथा जुर्माने की समतुल्य राशि का पुनर्भुगतान
- ग. आदेश देने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य का रजिस्टर से नाम हटाना"

तदनुसार, 1,22,922/- रुपए संबंधित व्यक्ति से वसूल किए जाने थे।

भारत के लागत एवं लेखाकार संस्थान के अपील प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दायर की गई थी और उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने लागत एवं संकर्म लेखापाल अधिनियम की धारा 22 (ङ) की उप धारा (2) के खंड (ग) के तहत इस उपर्युक्त प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश 09/04/18 के द्वारा उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने उन निर्देशों के पूरा होने तक संस्थान की अनुशासनिक समिति द्वारा जारी अनुचित आदेश के प्रचालन को स्थगित कर दिया है जिनके लिए मामला आदेश दिनांक 09/04/2018 के पैरा (12) के तहत उल्लिखित प्रयोजन के लिए और नया आदेश जारी करने के लिए उपर्युक्त कार्रवाई करने हेतु भारत के लागत लेखाकार संस्थान की अनुशासनिक समिति को भेजा जा रहा है।

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

(iv) एन आई आर सी

1. आनलाइन देयता की स्थिति के सत्यापन के तहत एन आई आर सी के पास, 1,50,420 रु0 की टी डी एस मांग बकाया है। चूंकि उत्तरी भारतीय क्षेत्रीय परिषद मामले पर आयकर प्राधिकारियों के साथ अनुसरण कर रही है, दंड ब्याज के संबंध में बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि देय हो सके, अतः मांग वैध नहीं हो सकती क्योंकि इसे ठीक किए जाने की जरूरत है और आयकर विभाग के साथ अनुसरण करने की जरूरत है। यद्यपि बकाया मांग के लिए प्रावधान/ समायोजन खाता बहियों में किया गया है, आवश्यक सुधार के क्षेत्रों के लिए टी डी एस की बकाया मांग का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	वर्ष	बकाया मांग	किया गया भुगतान*
1	2019-20	17,740/-	-
2	2018-19	23830/-	15100/-
3	2012-13	35660/-	-
4	2009-10	12610/-	10670/-
5	2008-09	43160/-	43157/-
6	2007-08	17420/-	17238/-
		1,50,420/-	86,165/-

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार वाले राज्यों में निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 के पत्र सं. पीक्यू/आईईपीएफ/आरडी (एन आर)/ 2017/8865 के तहत 12 लाख रु. प्रदान किए हैं। तथापि, वर्ष 2019-20 में एन आई आर सी इस संबंध में कोई कार्यक्रम आयोजित करने में समर्थ नहीं थी और वर्ष 2018-19 में एम सी ए सेप्राप्त 4.80 लाख रु. की राशि वापसी योग्य मानी गई है।
9. 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 1,33,24,831 /- रुपए की राशि के जी एस टी इनपुट ऋण को शेष आय एवं व्यय खाते में डाला गया है।
10. परिषद ने 21 जुलाई, 2019 को हुई अपनी 320वीं बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया !
 "संकल्प लिया जाता है कि दिनांक 20 और 28 सितंबर, 2018 को आयोजित परिषद की 315वीं बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन करने के लिए 6 जनवरी, 2019 को भी परिषद की 316वीं स्थगित बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा केन्द्रीय परिषद द्वारा विनियम 145-क के तहत डब्ल्यू आई आर सी और एन आई आर सी को जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में सीएमए (डा0) आशीष पी. थाटे और सीएमए नीरज जोशी के विरुद्ध सीएमए वीरेन्द्र शर्मा और डब्ल्यू आई आर सी के विरुद्ध एन आई आर सी द्वारा जारी डेविट संबंधी टिप्पणियां, जो संबंधित क्षेत्रीय परिषदों की अलग-अलग लेखा बहियों में दर्शायी गई हैं, अमान्य/ निरर्थक/ गैर-कानूनी हैं।

ये सभी डेविट नोट लेखों की सही, उचित और वास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए संस्थान की समेकित लेखा बहियों से हटाए जाने हैं।"

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

परिषद के संकल्प को ध्यान में रखते हुए डेविट नोट को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संस्थान के समेकित लेखों से हटा दिया गया है।

11. क्षेत्रीय परिषदों और चेप्टरों से संबंधित आवश्यक समायोजन की प्रविष्टियां लेखाओं के समेकन के समय कर दी गई हैं।
12. 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना के आधार पर "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमी विकास अधिनियम, 2006" के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमियों को ब्याज सहित कोई राशि देय नहीं है।
13. विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, वहां वर्तमान वर्ष के समूहों के समनुरूप पुनःवर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

नोट 1 से 20 तक हस्ताक्षरित

सीएमए सोमा बनर्जी
विभागाध्यक्ष (वित्त)

सीएमए कौशिक बनर्जी
सचिव

सीएमए विश्वरूप बासू
उपाध्यक्ष

सीएमए बलवन्दिर सिंह
अध्यक्ष

स्थान :

तारीख:

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

अनुबंध-I

(लेखों के नोट का नोट – I देखें)

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं के प्राप्त होने की स्थिति			
पश्चिमी क्षेत्र		दक्षिणी क्षेत्र	
क्र. सं.	नाम	क्र. सं.	नाम
1	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद	1	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद
2	आईसीएआई का अहमदाबाद चैप्टर	2	आईसीएआई का बंगलौर चैप्टर
3	आईसीएआई का औरंगाबाद चैप्टर	3	आईसीएआई का भद्रावती-सिमोगा चैप्टर #
4	आईसीएआई का बड़ौदा चैप्टर	4	आईसीएआई का कोचीन चैप्टर
5	आईसीएआई का भिलाई चैप्टर	5	आईसीएआई का कोयंबटूर चैप्टर
6	आईसीएआई का भोपाल चैप्टर	6	आईसीएआई का ईरोड चैप्टर
7	आईसीएआई का बिलासपुर चैप्टर	7	आईसीएआई का गोदावरी चैप्टर
8	आईसीएआई का गोआ चैप्टर	8	आईसीएआई का हैदराबाद चैप्टर

9	आईसीएआई का इंदौर-देवास चैप्टर	9	आईसीएआई का कोट्टायम चैप्टर
10	आईसीएआई का जबलपुर चैप्टर #	10	आईसीएआई का मुदुरई चैप्टर
11	आईसीएआई का कल्याण-अंबरनाथ चैप्टर	11	आईसीएआई का मंगलौर चैप्टर #
12	आईसीएआई का कोल्हापुर-सांगली चैप्टर	12	आईसीएआई का मेतूर-सेलम चैप्टर
13	आईसीएआई का कच्छ-गांधीधाम चैप्टर	13	आईसीएआई का मैसूर चैप्टर
14	आईसीएआई का नागपुर चैप्टर	14	आईसीएआई का नेल्लई-पल सिटी चैप्टर
15	आईसीएआई का नासिक-ओजार चैप्टर	15	आईसीएआई का नेल्लूर चैप्टर
16	आईसीएआई का नवी मुंबई चैप्टर	16	आईसीएआई का नेवेली चैप्टर
17	आईसीएआई का पिंपरी-चिंचवाड-अकुरडी चैप्टर	17	आईसीएआई का पलक्काड चैप्टर
18	आईसीएआई का पुणे चैप्टर	18	आईसीएआई का पांडिचेरी चैप्टर
19	आईसीएआई का रायपुर चैप्टर	19	आईसीएआई का रानीपेट-वेल्लूर चैप्टर
20	आईसीएआई का सूरत-गुजरात चैप्टर	20	आईसीएआई का त्रिशूर चैप्टर
21	आईसीएआई का वापी-दमन-सिलवासा चैप्टर	21	आईसीएआई का त्रिचूरपल्ली चैप्टर
22	आईसीएआई का विंध्यानगर चैप्टर	22	आईसीएआई का त्रिवेन्द्रम चैप्टर
23	आईसीएआई का सोलापुर चैप्टर	23	आईसीएआई का उक्कनाग्राम चैप्टर
24	आईसीएआई का भरुच अंकलेश्वर चैप्टर	24	आईसीएआई का विजयवाड़ा चैप्टर
25	सिंगरौली चैप्टर #	25	आईसीएआई का विशाखापट्टनम चैप्टर
		26	बेलारी चैप्टर #
		27	होसूर चैप्टर
		28	कोजिखोड - मल्लापुरम चैप्टर

पूर्वी क्षेत्र		उत्तरी क्षेत्र	
क्र. सं.	नाम	क्र. सं.	नाम
1	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद	1	उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद
2	आईसीएआई का अगरतला चैप्टर	2	आईसीएआई का आगरा-मथुरा चैप्टर
3	आईसीएआई का आसनसोल चैप्टर	3	आईसीएआई का अजमेर-भीलवाड़ा चैप्टर
4	आईसीएआई का बोकारो स्टील सिटी चैप्टर	4	आईसीएआई का इलाहाबाद चैप्टर
5	आईसीएआई का भुवनेश्वर चैप्टर	5	आईसीएआई का चंडीगढ़-पंचकुला चैप्टर
6	आईसीएआई का कटक-जगतसिंहपुर-केन्द्रपारा चैप्टर	6	आईसीएआई का देहरादून चैप्टर#
7	आईसीएआई का धनबाद-सिंदरी चैप्टर	7	आईसीएआई का फरीदाबाद चैप्टर
8	आईसीएआई का दुर्गापुर चैप्टर	8	आईसीएआई का गाजियाबाद चैप्टर #
9	आईसीएआई का गुवाहाटी चैप्टर	9	आईसीएआई का गोरखपुर चैप्टर
10	आईसीएआई का हजारीबाग चैप्टर	10	आईसीएआई का गुडगांव चैप्टर
11	आईसीएआई का हावड़ा चैप्टर	11	आईसीएआई का हरिद्वार-ऋषिकेश चैप्टर
12	आईसीएआई का जयपुर-क्योंझर चैप्टर#	12	आईसीएआई का जयपुर चैप्टर
13	आईसीएआई का जमशेदपुर चैप्टर	13	आईसीएआई का जालंधर चैप्टर
14	आईसीएआई का खड़गपुर चैप्टर	14	आईसीएआई का जम्मू श्रीनगर चैप्टर#

15	आईसीएआई का नईहत्ती-इचलपुर चैप्टर#		15	आईसीएआई का झांसी चैप्टर
16	आईसीएआई का पटना चैप्टर		16	आईसीएआई का जोधपुर चैप्टर
17	आईसीएआई का राजपुर चैप्टर		17	आईसीएआई का कानपुर चैप्टर
18	आईसीएआई का रांची चैप्टर		18	आईसीएआई का कोटा चैप्टर
19	आईसीएआई का राउरकेला चैप्टर		19	आईसीएआई का लखनऊ चैप्टर
20	आईसीएआई का संबलपुर चैप्टर#		20	आईसीएआई का लुधियाना चैप्टर
21	आईसीएआई का सेरामपोर चैप्टर		21	आईसीएआई का नया नागल चैप्टर
22	आईसीएआई का सिलीगुड़ी-गंगटोक चैप्टर		22	आईसीएआई का नोएडा चैप्टर
23	आईसीएआई का साउथ ओडिशा चैप्टर		23	आईसीएआई का पटियाला चैप्टर#
24	आईसीएआई का तलचर-अंगुल चैप्टर		24	आईसीएआई का उदयपुर चैप्टर
25	आईसीएआई का धुलियाजान चैप्टर		25	आईसीएआई का बीकानेर झुंझनु चैप्टर
26	आईसीएआई का चन्द्रपुरा चैप्टर			
27	आईसीएआई का बांकुरा चैप्टर			

वतर्मान वर्ष के दौरान शामिल नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

कौशिक बनर्जी, सचिव

[विज्ञापन -III/4/ असा. / 260 / 2020-21]

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September 2020

No. G/19-CWA/9/2020.—In pursuance of Sub-Section 5 of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March, 2020 are hereby published for general information.

KAUSHIK BANERJEE, Secy.

61st, ANNUAL REPORT, 2019-20

The Council of the Institute of Cost Accountants of India takes pleasure in presenting this 61st Annual Report giving the achievements and activities of Departments, Committees, Regions and Chapters of the Institute.

Abridged Annual Report 2019-20

✓ **Directorate of Examination**

Examination was conducted twice in a year; in the month of June & in December for Foundation, Intermediate, Final and Diploma courses. The Examination was conducted in 125 examination centers including 3 overseas centers in June 2019 and in December 2019, there were 133 examination centers including 3 overseas centers. In total there were 55,141 examinees in June 2019 term of examination and 70,715 examinees had appeared in the examination in December 2019 term. With the active support of the Chairman and the members of the Examination Committee and all concerned, results of all the examinations were published smoothly adhering to the time schedules and conforming to the standards.

✓ **Directorate of Studies (D.O.S)**

The Directorate of Studies (D.O.S) is entrusted with students' related activities and always trying to serve them better. Presently it is having four distinct wings: (A) Academics, (B) Administrative, (C) Career Counselling and (D) Training & Placement.

• **Initiatives taken for capacity building through qualitative improvements:**

- I. Study Materials had been amended for almost all the Papers (at Intermediate and Final levels);
- II. Supplementary Study Materials for the forthcoming examinations (on Direct and Indirect Taxation, Law and Accounts, Cost Audit);
- III. Work Book had been uploaded on the website of the institute for all Papers (Foundation, Intermediate and Final levels);
- IV. Mock Test Papers (MTP) for Foundation, Intermediate & Final level;
- V. Webinar on selected subjects & topics, delivered by experts from both the academia and industry;
- VI. Monthly E-bulletin for Foundation, Intermediate & Final level.
- VII. Online Mock Test Portal for foundation students is now available in website.
- VIII. Multiple Choice Questions are uploaded for Foundation, Intermediate & Final level.

• **CMA Career Counselling Programmes [2019-2020]**

- **Support services to the Students**
- **Social Responsibilities**
- **Placement Programmes [2019-2020]**
- **Practical Training Activities [2019-2020]**

✓ **BOARD OF ADVANCED STUDIES**

- The Board of Advanced Studies released Advanced studies e Bulletin – Volume 2 - No. 1, March 2020.
- Advanced Studies Directorate conducted its first batch of the SAP– FICO Power User Course Pan India through contact classes from 26th December 2019 onwards at 9 locations simultaneously - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Pune, Ahmedabad, Hyderabad, Bengaluru and Jaipur.
- Online Certificate Course in Data Analytics for Finance Professionals has been successfully launched in the

month of July 2020 with two consecutive batches.

✓ **Professional Development & CPD Directorate**

- Representations to Government, PSUs, Banks and Other Organizations:
- CMAs are Included on Institute's representation
- Reserve Bank of India:

Reserve Bank of India vide circular no. RBI/2019-20/69 DGBA.GBD.No.648/31.12.007/2019-20 dated 25.09.2019 has included Cost Accountants for Certifying "Agency Commission Furnishing Reconciliation Certificate."

- **The Arbitration & Conciliation (Amendment) Act 2019:**

Cost Accountants are considered for appointment as Arbitrator under "The Arbitration & Conciliation (Amendment) Act 2019" in the gazette notification of India, dated 09th August, 2019.

- **Admission for Institute of Actuaries Exam:**

- **Unique Document Identification Number (UDIN):**

Unique Document Identification Number (UDIN) was made mandatory to be mentioned on every document certified/attested by Practicing Cost Accountants/CMAs w.e.f., 1st October 2019.

- **Mandatory Capacity Building Training (MCBT):**

Other Initiatives

- Training Programme for members of ICMA Bangladesh:
- Associated with IOD for 9th London Global Convention
- Global Recognition of CMA Qualification
- Initiatives taken during the phase of lockdown due to Covid-19
- Memorandum highlighting problems & suggestions of MSME
- MSME Help Desks
- Increase in e-learning activities i.e. Webinars and Webint

✓ **Directorate of Journal & Publications**

Regular Activities

- The Journal is being published regularly on time.
- The Management Accountant Journal is indexed at Index Copernicus and J-gate. It is also having Global Impact and Quality factor (2015):0.563.
- There has also been an endeavour to incorporate special columns in the Journal like Statutory Updates, Digital Transformation, Down the Memory Lane and health Tips for benefit of the readers.
- To make the issue more productive and stimulating we had also added Special Articles related to a significant event of recent times.
- The drive to revive dormant NMJs continues and quite a good number of NMJs have become active too through this effort.
- The corporate database for posting complimentary copies to chiefs of Banks, RBI, IRDA, SEBI, Insurance companies and various other Industry leaders is being updated periodically. This helps us to improve the market positioning of our journal.
- Regions and chapters are contacted regularly for news of the events/photos and this has helped us to incorporate various news items from almost all regions of the Institute in every issue.

Research Bulletin – A peer-reviewed Quarterly Journal of the Institute (ISSN 2230 9241)

Published Research Bulletin Vol.44, No. IV, January 2019; Vol.45, No.I, and II, April and July 2019. Both of them were Non-theme.

Vol.45 No. III & IV October 2019 and January 2020, non-theme issue will be published shortly.

✓ **BANKING, FINANCIAL SERVICES AND INSURANCE DEPARTMENT**

- Launch of courses on Certificate Course on Credit Management of Banks, Concurrent Audit of Banks and Treasury and Forex Management:
- Certificate Course on Credit Management of Banks
- Conduct of WEBINTs

- BFSI Chronicle
- Release of Guidance Note
- Online Survey on MSME
- Suggestions to IRDAI
- BFSI Database
- Meeting with top management of Public Sector and Private Banks
- Meeting with various captains in Insurance Sector
- Meeting with Officials of Indian Banking Association
- Meeting with Officials of Institute of Banking Personnel Selection
- Meeting with top Officials of Reserve Bank of India
- Launch of Banking, Financial Services and Insurance Portal of the Institute
- Participation with ASSOCHAM programme
- Webinars with Indian Chamber of Commerce

✓ **President's Office**

- ✓ Global Summit 2020
- ✓ Correspondence with Ministries, Government Departments and agencies
- ✓ Technical Support to President & Vice-President
- ✓ Support to all major events of the Institute

✓ **Information Technology Department**

The Institute made effective use of Information Technology not only to improve efficiency and service delivery to the stakeholders but also to enhance interaction with the stakeholders.

- Web based Video Conferencing Solution
- Conducting Meetings through Google Meet Hangout
- Training to other departments for conducting meeting through VC
- Assisted other departments in conducting online classes
- Group Email using G Suit
- Webinars / WEBINT Live Events
- Application for capturing attendance of events
- Verification of Twitter Handle / Facebook Page
- Redesigning and creation of Portal
- HRIS

✓ **Members in Industry Committee**

The Members in Industry Committee of the Institute, in its continuous endeavour to improve the services to the members who are based in various industries across the country, has taken a number of significant initiatives. These initiatives had been taken keeping in view the objective of developing a professional body of members and playing a vital role in the context of providing leadership. The Committee embarked on activities and programs for sharing, disseminating and providing to various industries the valuable role of CMAs.

✓ **Internal Control Department**

- ✓ Internal Audit
- ✓ Purchase Proposals
- ✓ C & AG Audit Replies

✓ **International Affairs Department**

- ✓ South Asian Federation of Accountants (SAFA)
- ✓ Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)

- ✓ International Federation of Accountants (IFAC)
- ✓ Visits of Officials from Foreign bodies to the Institute
- ✓ International Meetings & Events

✓ **Cost Accounting Standards Board (CASB)**

- ✓ Advisory on Treatment of Various Items of Cost in light of the COVID19 Pandemic
- ✓ Limited revision of Cost Accounting Standards due to IndAS
- ✓ Limited revision of Cost Accounting Standard on Capacity Determination (CAS-2)
- ✓ WEBINTS on Practical Aspects of Cost Accounting Standards

✓ **Tax Research Department**

- **Tax Bulletins:**

Launching of “Fortnightly Tax Bulletin” is one of the primary activities of the Department. The Tax Bulletin contains articles informing about the recent developments in taxation, both direct and indirect taxes.

- **Webinars:**

The webinars conducted by the department are highly appreciated by the members of the Institute.

- **Seminars:**

The Seminars that have been conducted by the department in this period may be segregated into: Direct Tax Seminars and Indirect Tax Seminars.

✓ **Technical Cell (Cost Audit & Statutory Compliances)**

- Advisory on Disclosures in the Audit Report in light of the Lockdown due to COVID19 Pandemic
- Guidance Note on Internal Audit of Cost Records
- Symposium on “Cost Audit - Stakeholders Value Proposition” in Mumbai
- Monograph Advantage India 2020
- Upload of Responses by the Technical Cell to the Queries of members / stakeholders

Guidance on important and emerging Technical Matters:

1. Assessment of Impact of implementation of Ind AS on Cost Accounting Standards
2. Impact analysis of introduction of ‘IndAS 116 – Leases’ and ‘IndAS 115 – Revenue Recognition
3. Treatment of Finance Cost
4. Treatment and netting off of Interest debits and Interest credits
5. Reconciliation Items
6. Issues relating to Capacity Determination
7. Streamlining of Definitions in various CASs
8. Representation to Ministry on relooking of Cost Reporting Mechanism
9. Contents and formats for Disclosure of Cost Audit Report in the Annual Report

✓ **Cost Auditing and Assurance Standards Board (CAASB)**

- Advisory on Auditing and Assurance assignments during the Period of Lockdown
- Meeting with the Joint Secretary, MCA for approval of remaining SCAs
- Release of General FAQs on SCAs 101 - 104
- Series of WEBINTS on SCAs

✓ **PR Department**

- Global Summit 2020
- Functions
- Investor Awareness Programmes
- Advertisement in Newspapers

- General
- Government follow up

✓ **President Office**

- Global Summit 2020:
- Correspondence with Ministries, Government Departments and agencies:
- Technical Support to President & Vice-President
- Support to all major events of the Institute

✓ **Regional Council & Chapters Coordination Committee**

- State Level Chapters Meetings
- WEBINAR
- WEBINT
- New Chapter
- CMA Extension Centre
- Other activities

✓ **Membership Department**

- 1941 members were newly admitted as Associate members and 444 members were advanced to Fellowship during the FY 2019- 2020.
- Waiver of convenience charges / bank charges in making online payments by Members
- Provision for incorporation of GST number against membership number along with the reflection of the same in their corresponding membership fees receipts
- Introduction of facility of payment of membership fee online without login
- Welcome letter from Chairman of the committee along with membership form sent to all final passed out candidates for each term to encourage them taking membership of the Institute
- Faster grant of Membership and Certificate of Practice
- Continuous improvement for a seamless digital experience covering all activities of membership through online facility.

✓ **Internal Committee**

As envisaged under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressed) Act, 2013 the annual report of the Internal Committee of Institute for the period is as follows: -

- Number of complaints of Sexual Harassment received in the year (1st April, 2019 to 31st March, 2020)
NIL
- Mega Workshop for awareness carried out on Sexual harassment (1st April, 2019 to 31st March, 2020)

1

✓ **CAT Directorate**

- The CAT Directorate ensured during the nationwide lockdown that students of CAT course and other stakeholders are suitably assisted against the hurdles and anxiety of the students addressed to then and there. They played proactive role during the lockdown period ensuring liaison with Kerala State ASAP BFSI Departments, conduct of webinars in coordination with RC and Chapter Coordination Committee.
- The CAT Directorate on 4th June 2020 inaugurated e - learning classes for the students pursuing CAT Course.
- The Foundation Course (Entry level) Part-I July, 2020 Examination was conducted on Sunday, 13th September, 2020 in home based online mode which was a first-of-its-kind initiative for the benefit of its students.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**To****The Council of****The Institute of Cost Accountants of India****Report on the Audit of the Financial Statements****Qualified Opinion**

We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Cost Accountants of India ('the Institute') which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2020, the Statement of Income and Expenditure and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, *except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph*, the accompanying financial statements prepared in all material respects in accordance with the Cost and Works Accountants Act, 1959, give a true and fair view of the financial position of the Institute as at 31st March, 2020, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Basis for Qualified Opinion**1. Title Deed**

- (a) Master List of Title Deeds of Immoveable Properties belonging to the Institute was not made available to us. Hence, we are unable to comment on the total number of immoveable properties held in the name of the Institute.
 - (b) We could not verify the Title Deeds of Immoveable Properties held by the Institute.
2. No Property, plant and equipment Register has been maintained at Headquarters, Kolkata and Delhi Office, as observed in course of our audit. In respect of Regional Councils and Chapters, no comment has been made by the respective auditors in this regard.
 3. Physical verification of property, plant and equipment has not been carried out at Headquarters, Kolkata and Delhi Office by the management during the year.
 4. Due to outbreak of COVID-19 Pandemic and subsequent lockdown imposed by the Government(s), year-end physical verification of inventory has not been conducted during the year at Headquarters and Delhi Office.
 5. No internal audit has been carried out at Headquarters and Delhi Office during the year.
 6. There is an unreconciled balance of Rs. 18,16,78,366/- (Net Credit) shown under 'Current Accounts with Regional Councils and Chapters'.
 7. The Institute has an amount outstanding in Non-Specific Deposit of Rs. 16,55,979/- for more than three years. The nature of the amount cannot be determined.
 8. In respect of Eastern Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India, as reported by the respective auditor and also apparent from notes to accounts, out of total Trade Receivables of Rs. 46,20,411/-, a sum of Rs. 12,29,729/- are more than eight years old for which no provision has been made in the books. (Refer Note 8 (iii) (a) of Notes to the financial statements).
 9. Other Advances includes Rs. 1,36,097/- due from former Council Member owing to disallowances by MCA, Govt. of India and presently the matter is sub-judice. (Refer Note 6 of Notes to the financial statements).

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of (ICAI). Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following notes:

In respect of Western Regional Council (WIRC), as reported by the respective auditor and also apparent from notes to accounts: -

- i) Claims Receivable from FDAPL of Rs. 67,30,000/- is disputed by the party, which is considered as fully recoverable by the Council. Similarly, Rs. 67,30,000/- Claims Suspense -FDAPL is appearing under Current Liabilities for which WIRC has received reminders from the party for payment. (Refer Note 8 (ii) (2) of the Notes to financial statements)
- ii) Provision for gratuity is on the basis of the actual payment of the premium and additional contribution on account of enhanced liability due to amendment of the Payment of Gratuity Act, 1972 under Group Gratuity Scheme with LIC, in absence of actuarial valuation of gratuity liability by LIC. (Refer Note 8 (ii) (4) of the Notes to financial statements)

Our opinion has not been modified in respect of these matters.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Institute's Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the Cost and Works Accountants Act, 1959 and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The management is responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Other Matters

1. (a) We did not audit the financial statements of four Regional Councils and eighty three Chapters whose financial statements reflect total assets of Rs. 1,72,93,65,859/- and total revenue of Rs.47,85,44,885/- as

considered in the financial statements. The financial statements of these Regional Councils have been audited by other auditors, appointed by the respective Regional Councils and the financial statements of majority of these Chapters have been audited by Cost Accountants appointed by Governing Bodies of the Chapters in terms of regulation 133 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, and Clause 26 of the Chapter Bye-laws of the Institute, whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Regional Councils and Chapters and our report in terms of sub-section (3) and (11) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these aforesaid Councils and Chapters is based solely on the reports of the other auditors and Cost Accountants respectively.

- (b) We did not audit the financial statements of seven Chapters included above in paragraph (a) herein above, whose financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Chapters and our report in terms of sub-section (3) and (11) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these aforesaid Chapters based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material in the context of overall financial statements of the Institute.
- (c) The financial statements for the year of the Institute does not include the financial statements of twenty two Chapters, as no financial statements have been received from their end.
- (d) The financial statements for the year of the Institute includes seventy-four Chapters were audited by Cost Accountants.

Our opinion on the aforesaid financial statements and our report on Other Legal Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the management.

2. Capital Work in Progress

There has been pending Capital Work in Progress, for which no further work has been undertaken by the Institute for a considerable period of time, list of which are given as follows:

Particulars	Amount (Rs.)	Remarks
Centre of Excellence Ajmer	60,28,800	Prior to 2010
Jaipur Chapter	30,11,000	No progress of work has been observed from 2016 onwards.
Hyderabad Centre of Excellence	10,37,781	Represents amount incurred towards cost of supply & installation of fire hydrant & sprinkler system at HCE Building during 2015.
Jaipur Centre of Excellence	62,962	Amount paid to Dolphin Engineer on 31.03.2017 for soil testing, no work has been done since then.
Navi Mumbai Centre of Excellence	4,99,78,350	Last amount paid Rs. 5,24,750/- on 13.07.2016 & Rs. 22,400/- on 17.08.2016 to Gulraj Construction. However, litigation is pending before Bombay High Court vide Arbitration Petition (ST) 7232 of 2017.
Allahabad Chapter	5,05,360	Paid for registration charges of Commercial Halls acquired leasehold basis in 2012.
TOTAL	6,06,24,253	

3. In respect of Eastern Regional Council (EIRC), as reported by the respective auditor and also apparent from notes to accounts: -

- i) An amount of Rs. 41,98,369/- received during the year 2018-19 from SBI on account of lease rent which was pending since 01.01.2013 but no GST has yet been collected on that Service of Rental Income. (Refer Note 8(iii) (b) of the Notes to financial statements).
- ii) As per Lease Agreement with SBI for five years, the lessee i.e., SBI will pay for 6 months' rent and service charges as advance towards interest- free refundable security deposit on or before taking possession. However, EIRC has not yet collected that Security Deposit from the lessee. Now, EIRC has

made provision for the amount in the accounts of the FY 2019-20. (Refer Note 8 (iii) (c) of the Notes to financial statements).

Report on Other Regulatory Requirements

Further to our comments in above mentioned paragraph, we report that:

- Except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph herein above, we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit excepting few small Chapters;
- Except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph and paragraph 1 of 'Other Matters' paragraph herein above, in our opinion proper books of account as required by law, have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper Returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Regions and Chapters not visited by us;
- The reports on the accounts of the Regional Councils and Chapters of the Institute audited by the auditors/cost accountants of the respective Regions and Chapters as have been received by us, were properly dealt with in preparing this report.
- The Institute's Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

For RAY & RAY

Chartered Accountants

(Firm's Registration No:301072E)

Place: Kolkata,

Date: 20th September, 2020

(Asish Kumar Mukhopadhyay)

Partner

Membership No. 056359

(UDIN 20056359AAAAAT5555)

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA				
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH,2020				
As At 31st March 2019	PARTICULARS	Note	As At 31st March 2020	
Rs.			Rs.	Rs.
	<u>SOURCES OF FUNDS</u>			
	<u>INSTITUTE FUND</u>			
2,90,65,64,207	General Fund	(1)		3,28,82,67,556
18,15,482	Employees' Gratuity Fund	(2)		13,61,970
85,77,189	Misc. Prize Fund	(3)		1,05,90,087
2,75,74,582	Other Funds	(4)		3,93,02,024
29,17,83,067	Current Liabilities	(5)		36,69,04,589
90,78,227	Provisions	(6)		1,74,85,331
3,24,53,92,754	TOTAL			3,72,39,11,557
	<u>APPLICATION OF FUNDS</u>			
	Non Current Assets			
66,44,22,082	a) Property, Plant and Equipment	(7)	66,36,12,754	66,36,12,754
18,66,167	b) Intangible Assets	(7)	33,40,195	33,40,195
8,31,23,206	Capital Work In Progress			6,49,48,643
11,11,50,750	Investment	(8)		11,11,50,750
	Current Assets			
86,25,277	Inventory	(9)	1,85,93,985	
12,14,99,947	Trade Receivable	(10)	13,65,48,298	
2,20,54,17,864	Cash and Bank balances	(11)	2,66,93,74,915	

4,92,87,461	Loans & Advances	(12)	5,63,42,017	
			2,88,08,59,215	
2,38,48,30,549				2,88,08,59,215
3,24,53,92,754	TOTAL			3,72,39,11,557
	Notes to Accounts	(20)		
Accompanying Notes 1-20 form an integral part of the financial statements				
This is the Balance sheet referred to in our report of even date. For RAY & RAY Chartered Accountants Firm Regn. No. : 301072E ASISH KUMAR MUKHOPADHYAY Partner Membership No. : 056359 Place : Kolkata Dated : CMA Soma Banerjee HOD (Finance) CMA Kaushik Banerjee Secretary CMA Biswarup Basu Vice President CMA Balwinder Singh President				

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020			
For the Year ended 31st March 2019	PARTICULARS	Note	For the Year ended 31st March 2020
Rupees			Rupees
	INCOME :		
4,73,81,067	Membership & Other Fees	(13)	4,81,68,453
65,13,03,460	Tuition & Other Fees	(14)	78,31,58,351
16,45,53,505	Examination & Other Fees	(15)	19,96,20,102
2,54,37,450	C. P.D & Other Programme Fees		3,01,30,511
7,70,504	Journal Subscription incl. Advertisement		6,82,934
8,72,270	Sale of Publication		5,60,108
14,79,12,045	Interest		16,86,20,003
95,79,256	Other Income		89,93,898
1,04,78,09,557	TOTAL		1,23,99,34,360
	EXPENDITURE :		
22,37,81,686	Establishment	(16)	29,17,53,676
13,39,63,700	Office Expenses	(17)	13,83,53,610
16,90,365	Statutory Audit Fees		17,24,280
1,61,51,166	Travelling & Conveyance		1,15,15,185
9,88,46,173	Examination Expenses	(18)	11,94,75,491
2,70,55,484	Council & Committee Meeting Expenses		2,61,91,773
1,40,836	Election Expenses incl. Tribunal		1,24,84,257
87,29,687	Journal Expenses		91,34,964
55,62,372	Membership Subscription to Foreign Bodies		84,86,308
74,90,782	Conference & Meeting International		58,81,173
3,85,67,088	C. P.D, Technical Skill Development & Other Programme Expenses	(19)	3,77,70,833
1,34,99,062	Professional Development Expenses		1,05,30,783
12,70,57,527	Coaching Expenses		12,90,47,748
3,38,00,037	Study Materials & Prospectus Consumed		2,44,07,259
2,17,160	Publication Stock Consumed		1,92,465
61,79,406	Sundry Assets Written Off (Stock & Debtors)		19,36,746
5,40,79,724	Depreciation		5,60,23,237
79,68,12,255	TOTAL		88,49,09,788
25,09,97,302	Balance being excess of Income over Expenditure		35,50,24,572

(2,58,479)	Prior Period Adjustment (Net)	(19A)	(54,78,292)
25,07,38,823	Balance being Surplus transferred to General Fund		34,95,46,280
Accompanying Notes 1-20 form an integral part of the financial statements			
This is the Statement of Income and Expenditure referred to in our report of even date.			
For RAY & RAY	CMA Soma Banerjee	CMA Kaushik Banerjee	
Chartered Accountants			
Firm Regn. No. : 301072E	HOD (Finance)	Secretary	
ASISH KUMAR MUKHOPADHYAY	CMA Biswarup Basu	CMA Balwinder Singh Partner	
Membership No. : 056359	Vice President	President	
Place : Kolkata			
Dated :			

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA		
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)		
NOTE NO.1 : GENERAL FUND		
As At 31st march 2019	PARTICULARS	As At 31st March 2020
Rs.		Rs.
2,73,28,61,414	Balance as per last Accounts	2,90,65,64,207
	Add :	
2,71,99,275	i) Capitalization of Chapter's Land & Building	2,62,91,000
-	ii) Capitalization of Cochin Chapter's Building	27,62,427
2,76,00,60,689		2,93,56,17,634
2,76,00,60,689		2,93,56,17,634
9,72,90,297	Less- Adjustment for Pune land and building	-
-	Less- Adjustment for Cochin Chapter's building	27,62,427
1,00,00,000	Less- Transferred to Members Benevolent Fund	-
4,55,000	Less : Adjustment of 57th NCC balance	-
35,09,992	Add : Entrance Fees (Member)	31,03,642
2,65,58,25,384		2,93,87,21,276
25,07,38,823	Add : Surplus for the year as per statement of Income & Expenditure	34,95,46,280
2,90,65,64,207	Total	3,28,82,67,556

NOTE NO. 2 :**EMPLOYEES' GRATUITY FUND**

As At 31st march 2019	PARTICULARS	As At 31st March 2020
Rs.		Rs.
14,54,430	Balance as per last Account	18,15,482
2,96,209	Add : Contribution for the year	4,46,886
17,50,639		22,62,368
74,013	Add : Interest earned on Fixed Deposit during the year	67,002
-	Less : Amount Paid	9,58,230
9,170	Less : Balance transferred to general fund' during the year	9,170
18,15,482	Total	13,61,970

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO. 3 : MISC. PRIZE FUND**

As At 31st march 2019	PARTICULARS	As At 31st March 2020
Rs.		Rs.
83,75,218	Balance as per Previous Balance Sheet	85,77,189
64,549	Add : Addition during the year	14,08,791
2,62,616	Add : Income credited during the year	6,66,272
(1,25,194)	Less : Cost of the prize	(62,165)
85,77,189	Total	1,05,90,087

NOTE NO. 4 : OTHER FUND

As At 31st march 2019	PARTICULARS	As At 31st March 2020
Rs.		Rs.
1,10,598	Building Fund	5,59,371
22,800	Library Fund	46,000
2,74,41,184	Misc. Fund	3,86,96,653
2,75,74,582	Total	3,93,02,024

NOTE NO.5 : CURRENT LIABILITIES

As At 31st March 2019	PARTICULARS	As At 31st March 2020
Rs.		Rs.
22,78,701	Library Deposit	31,21,975
4,36,52,760	Trade Payables	2,85,33,387
5,39,17,615	Current Account with RC and Chapter	18,16,78,366
18,57,85,997	Other Liabilities	14,93,78,944
61,47,994	TDS Payable	41,91,917
29,17,83,067	Total	36,69,04,589

**NOTE NO.6 :
PROVISIONS**

As At 31st March 2019	PARTICULARS	As At 31st March 2020
Rs.		Rs.
90,78,227	Provisions	1,74,85,331
90,78,227	Total	1,74,85,331

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

NOTE NO. 7 :**PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT**

Description of Assets	Gross Block				Depreciation/Amortisation				Net Block	
	Opening Cost	Addition during the	Less : Sale/ Adjustment of	Total as on	Upto	For the	Add/(Less) : Depreciation	Upto	This year	Last year
	01.04.19	period	Fixed Assets during the period	31.03.2020	01.04.2019	year	Adjustment of Fixed Assets during the year	31.03.2020	2019-20	2018-19
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
Tangible Assets :										
FREEHOLD LAND	16,07,93,820			16,07,93,820	-	-		-	16,07,93,820	16,07,93,820
LEASEHOLD LAND	6,44,84,501	2,79,487		6,47,63,988	80,21,842	8,32,057		88,53,899	5,59,10,089	5,64,62,659
FREEHOLD BUILDING	66,70,34,375	3,65,44,477		70,35,78,852	31,30,84,587	3,87,17,895	(1)	35,18,02,481	35,17,76,371	35,39,49,788
FURNITURE & FITTINGS	7,75,52,092	79,43,469		8,54,95,561	3,87,48,248	46,00,853	81,285	4,34,30,386	4,20,65,175	3,88,03,844
LIBRARY BOOKS	1,16,43,928	5,13,595		1,21,57,523	1,12,26,528	3,90,422	(64,114)	1,15,52,836	6,04,687	4,17,400
OFFICE EQUIPMENTS	8,62,80,391	85,80,098		9,48,60,489	4,96,13,599	63,88,402	17,93,046	5,77,95,047	3,70,65,442	3,66,66,792
GENERATORS	1,60,46,364	30,791	-	1,60,77,155	87,28,424	11,37,238	(1,92,233)	96,73,429	64,03,726	73,17,940
LIFT	1,40,63,133			1,40,63,133	74,27,867	9,95,290		84,23,157	56,39,976	66,35,266
MOTOR CAR	7,40,503			7,40,503	5,90,220	22,542		6,12,762	1,27,741	1,50,283
COMPUTER	5,60,64,435	10,75,525		5,71,39,960	5,28,40,145	20,88,064	(10,13,976)	5,39,14,233	32,25,727	32,24,290
CYCLE	8,368			8,368	8,368	-		8,368	-	-
TOTAL A	1,15,47,11,910	5,49,67,442	-	1,20,96,79,352	49,02,89,828	5,51,72,763	6,04,007	54,60,66,598	66,36,12,754	66,44,22,082
Intangible Assets :										
SOFTWARE	4,12,78,630	28,08,709		4,40,87,339	3,94,12,463	8,50,474	4,84,207	4,07,47,144	33,40,195	18,66,167
TOTAL B	4,12,78,630	28,08,709	-	4,40,87,339	3,94,12,463	8,50,474	4,84,207	4,07,47,144	33,40,195	18,66,167
Previous Year	1,19,59,90,540	5,77,76,151	-	1,25,37,66,691	52,97,02,291	5,60,23,237	10,88,214	58,68,13,742	66,69,52,949	66,62,88,249
	1,15,07,36,244	7,48,84,882	(2,62,43,428)	1,19,59,90,540	48,32,59,364	5,40,79,724	(76,36,797)	52,97,02,291	66,62,88,249	66,74,76,880
Capital-work in Progress									6,49,48,643	8,31,23,206

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO. 8 :
INVESTMENT (AT COST)
Unquoted

As At 31st march 2019 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2020 Rs.
	SHARES OF CO-OPERATIVE TRUST :	
500	50 Shares of Rs.10/- each in Rohit Chambers Premises Co-operative Society Limited, Mumbai (earlier described as Jai Brindaban Premises Trust Fund, Bombay)	500
11,00,00,000	Investment in Insolvency Professional Agency of ICAI (1,10,00,000 Nos. of paid up shares of Rs.10 each)	11,00,00,000
11,00,000	Investment in RVO	11,00,000
50,250	- Others	50,250
11,11,50,750	TOTAL	11,11,50,750

NOTE NO. 9 :
INVENTORY

As At 31st march 2019 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2020 Rs.
24,71,199	- Publication Stock (at Cost)	39,13,431
6,980	- Paper Stock (at Cost)	5,765
43,46,437	- Study Material incl. Prospectus Stock (at Cost)	1,30,70,992
18,00,661	- Stock of Other Material (at Cost)	16,03,797
86,25,277	Total	1,85,93,985

NOTE NO. 10 :
TRADE AND OTHER RECEIVABLE

As At 31st march 2019 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2020 Rs.
4,22,12,546	Trade Receivable	4,53,47,285
-	Less : Provision for Doubtful Debts	-
7,92,87,401	Other Receivables	9,12,01,013
12,14,99,947	Total	13,65,48,298

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO. 11 :****CASH AND BANK BALANCES**

As At 31st march 2019 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2020 Rs. Rs.	
	Cash and Bank Balances :		
11,25,674	Cash in hand		11,35,445
	Balances with Scheduled Banks :		
10,98,70,442	On Current Account		24,77,15,305
5,21,63,099	On Savings Account		6,36,87,419
2,04,22,58,649	Fixed Deposits with Banks :		2,35,68,36,746
2,20,54,17,864	Total		2,66,93,74,915

NOTE NO.12 :**LOANS AND ADVANCES**

As At 31st march 2019 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2020 Rs.
91,50,288	Other Advances	1,60,60,936
3,03,695	Festival Advance to Employees	5,35,825
3,26,68,069	TDS Receivable	2,82,36,196
17,00,631	Prepaid Expenses	58,80,816
54,64,778	Deposit	56,28,244
4,92,87,461	Total	5,63,42,017

NOTE NO.13 :**MEMBERSHIP & OTHER FEES :**

For the year ended 31st March 2019 Rs.	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2020 Rs.
3,89,52,486	Annual Membership Fees	3,90,83,132
82,06,267	Members Certificate of Practice Fees	84,85,505
-	Grad C.W.A. Fees	-
92,370	Members Complaint / Restoration Fees/Nomination Fees	3,83,664

-	Certified Facilitation Centre Fees	-
83,324	Membership & Certification Fees - IMA(USA)	1,80,552
46,620	Certificate of Good Standing	35,600
4,73,81,067	Total	4,81,68,453

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO.14 :

TUITION AND OTHER FEES :

For the year ended 31st March 2019	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2020
Rs.		Rs.
2,33,05,560	Student Registration Fees	3,73,00,545
73,28,000	Practical Training Registration Fees	63,24,000
67,96,512	Practical Training/Subject Exemption Fees	70,76,000
56,66,07,979	Tuition Fees	69,40,05,533
3,32,51,426	CAT Course Income	3,23,78,200
83,63,400	Revalidation of Coaching Completion Certificates Fees	39,37,600
38,20,935	Sale of Prospectus	14,17,000
17,91,148	Sale of Study Notes	6,64,473
38,500	Sale of Postal Coaching, Revalidation & Denovo Forms	55,000
65,13,03,460	Total	78,31,58,351

NOTE NO.15 :

EXAMINATION AND OTHER FEES :

For the year ended 31st March 2019	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2020
Rs.		Rs.
15,88,91,616	Examination Fees	19,54,59,802
56,58,389	Verification of Answers Paper Fees	41,60,300
3,500	Sale of Exam. Forms	-
16,45,53,505	Total	19,96,20,102

NOTE NO.16 :

ESTABLISHMENT

For the year ended 31st March 2019	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2020
Rs.		Rs.
18,53,26,499	Salaries & Allowances	23,02,81,199

35,11,457	Employer's Cont. to Employees' Gratuity Fund	2,16,45,439
1,61,51,102	Employer's Cont. to Employees' Provident Fund	2,02,16,709
2,016	Employer's Cont. to Employees' Benevolent Fund	1,976
33,55,262	Employer's Cont. to Employees' Leave Encashment	48,46,734
55,19,942	Employees' Leave Encashment - Existing	37,88,134
56,83,331	Medical Expenses	81,25,398
10,94,490	Leave Travel Allowance to Employees	8,80,164
10,25,603	RPFC Administration & E.D.L.I. Inspection Charges	11,54,309
21,11,984	Training & Development (H.R.D.)	8,13,614
22,37,81,686	Total	29,17,53,676

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO.17 : OFFICE EXPENSES

For the year ended 31st March 2019	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2020
Rs.		Rs.
66,58,065	Printing & Stationery	58,70,873
75,73,571	Postage, Telegrams, Telephones & Fax	1,02,53,169
17,64,655	Internal Audit Fees	13,41,095
1,09,91,630	Electricity Charges	1,12,31,186
2,58,883	Generator Expenses	2,17,191
25,25,917	Rates & Taxes	26,89,600
3,06,746	Insurance	4,99,704
91,35,454	Repair & Maintenance	99,56,647
17,34,767	Car Expenses	14,23,357
12,570	Interest on Caution Money Deposit	12,820
54,62,614	Legal Charges	72,96,792
3,72,082	Bank Charges	4,81,651
49,08,484	Computer Maintenance Expenses	39,99,799
22,92,478	Public Relation Expenses	24,52,883
24,95,251	Watch & Ward Expenses	27,47,453
6,54,803	Books & Periodicals	7,26,844
3,85,614	Delegate Fee	3,12,799
4,78,910	Gazette Notification	3,59,020
15,98,960	Staff Welfare	22,84,918
68,80,611	Rent	81,43,953
5,98,45,123	Administrative Charges	6,03,64,965
76,26,512	Sundry Expenses	56,86,891
13,39,63,700	Total	13,83,53,610

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO.18 : EXAMINATION EXPENSES

For the year ended 31st March 2019	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2020
Rs.		Rs.
2,83,40,983	Examination Expenses	3,63,99,442
4,04,55,241	Examiners' Remuneration	4,68,97,852
2,58,39,234	Examination Center Expenses	3,12,97,234
7,98,789	Examination Expenses for oral coaching Students	9,93,016
34,11,926	Prize & Prize Distribution Expenses	38,87,947
9,88,46,173	Total	11,94,75,491

NOTE NO.19 :

CPD PROGRAMME EXPENSES AND TECHNICAL SKILL

For the year ended 31st March 2019	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2020
Rs.		Rs.
79,85,781	CPD Expenses	91,43,755
7,15,169	Project Expenses	45,500
69,12,746	National Award including Best Chapter Award	9,43,520
97,59,392	Regional Cost / National Convention Expenses	1,05,37,449
1,11,77,364	CPD Expenses - RC's/Chapters	1,49,69,489
20,16,636	Technical Skill Development	21,31,120
3,85,67,088	Total	3,77,70,833

NOTE NO. 19A :

PRIOR PERIOD ADJUSTMENT

For the year ended 31st March 2019	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2020
Rs.		Rs.
	Prior Period Income	
1,04,047	HQ	22,18,757
37,68,426	EIRC	-
3,35,157	NIRC	-
91,925	Chapters of WIRC	200
12,03,815	Chapters of SIRC	(7,57,578)
10,100	Chapters of NIRC	1,81,065
55,13,470	Total (A)	16,42,444
	Prior Period Expenses	
35,14,329	HQ	56,07,415
10,41,608	EIRC	11,800
7,70,573	NIRC	3,94,171

2,63,345	Chapters of WIRC	2,63,607
1,29,644	Chapters of SIRC	8,24,943
52,450	Chapters of NIRC	18,800
57,71,949	Total (B)	71,20,736
(2,58,479)	PRIOR PERIOD ADJUSTMENT (A-B)	(54,78,292)

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020			
For the year ended 31st March 2019	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2020
Rs.		Rs.	Rs.
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
25,07,38,823	NET SURPLUS BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEM	34,95,46,280	
5,40,79,724	ADD- DEPRECIATION	5,60,23,237	
30,48,18,547	OPERATING SURPLUS BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	40,55,69,517	
2,93,56,341	INCREASE IN CURRENT LIABILITIES	8,35,28,626	
2,06,563	INCREASE IN CURRENT ASSETS	3,20,71,615	
2,91,49,778		5,14,57,011	
33,39,68,325	NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES		45,70,26,528
CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES			
64,24,437	PURCHASE OF FIXED ASSETS	1,75,09,863	
(11,00,000)	DECREASE IN INVESTMENT	-	
53,24,437	NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES		1,75,09,863
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES			
(6,94,98,856)	INCREASE IN CAPITAL	(1,05,79,340)	
(6,94,98,856)	NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES		(1,05,79,340)
26,97,93,906	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT		46,39,57,051
1,93,56,23,958	ADD- CASH & CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		2,20,54,17,864
2,20,54,17,864	CASH & CASH EQUIVALENT AS AT 31.03.2020		2,66,93,74,915
11,25,674	Cash	11,35,445	
2,04,22,58,649	Fixed Deposit	2,35,68,36,746	
10,98,70,442	Bank Balance - Current A/c	24,77,15,305	
5,21,63,099	Bank Balance - Savings A/c	6,36,87,419	
2,20,54,17,864		2,66,93,74,915	

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

NOTE - 20**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS****A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES****Basis for preparation of Financial Statements**

The financial statements are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles, the applicable Accounting Standards and the relevant provisions of the Cost and Works Accountants Act, 1959, as amended. The financial statements are prepared on going concern, under the historical cost convention and on accrual basis unless otherwise stated.

Basis of Consolidation

The financial statements of Head Quarter (Kolkata), New Delhi office, its Regional Councils and Chapters are consolidated by adding together the figures of value of assets and liabilities, income and expenses after eliminating all material intra group balances, intra group transactions and resultant unrealized surplus/deficit. Necessary adjustments are made wherever required.

Entrance Fee

Entrance Fee received from members is capitalized.

Registration Fee

Registration Fee received from students is recognized as revenue income as and when the student is enrolled.

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

NOTE – 20 (CONTD.)**Revenue Recognition**

The Institute recognizes significant items of income on the following basis: -

a) Members' Subscription

Membership Subscription is recognized in the year to which it pertains.

b) Tuition and other Fees

Revenue in respect of Postal and Oral Tuition Fees are recognized as and when the student is enrolled.

c) Sale of Publication

Revenue in respect of sale of publications is recognized when such publications are transferred to a user for a price.

d) Examination Fees

Examination Fees is recognized for the concerned term(s) to which it pertains.

e) Others

Revenue from Programme Fee is recognized as and when such activity is undertaken.

f) Interest

Interest income in respect of fixed deposits with Banks is recognized on accrual basis taking into account the amount outstanding and the applicable rate.

g) Income from Investments is recognized as and when the right to receive the payment is established.

Expenditure

The expenditure is recognized on accrual basis including expenses related to postal and oral coaching except in the following cases:

- i. The Annual Grants to Chapters are recognized as and when disbursed.
- ii. Election expenses are recognized in the financial year in which it is incurred.

Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and net of impairment, if any. Cost comprises the purchase price and any other cost, attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20 (CONTD.)**Intangible Assets**

Intangible Assets being computer software are carried at cost less accumulated amortisation and net of impairment, if any.

Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work in Progress.

Depreciation/Amortization

- (a) Depreciation on Property, plant and equipment and Intangible Assets is provided on written down value method as per Income Tax Act.1961.
- (b) Book Value of Leasehold land including premium paid thereon are amortized on straight line basis over the Lease period. The ground rent if any, are recognized as expense in the year for which such charges are due or payable.
- (c) Library books are depreciated at 40% in the year of purchase.

Investments

Long term investments are stated at cost. However, when there is a permanent decline in the value of long term investments, carrying amount is reduced to recognize the decline.

Inventories

Publication stock, Study Materials and Paper Stock including Prospectus stock etc. are valued at lower of Cost or Net Realizable Value. Cost of Publications and that of Study Materials is determined on Weighted Average basis and cost of paper is determined on First-In-First-Out (FIFO) basis.

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- i) A provision is recognized: -
 - (a) when there is present obligation as a result of past event;
 - (b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation; and
 - (c) a reliable estimate can be made of the amount of obligation.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20(CONTD.)

ii) No provision is recognized for:

- (a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute;
- (b) any present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are disclosed as Contingent Liabilities These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign currency are denominated at the exchange rate prevailing on the transaction date. Monetary items are reported by using the closing rate prevailing at the Balance Sheet date. Differences in the exchange rate arising on the settlement of monetary items initially recorded/reported are recognized as income /expense, as the case may be, in the Statement of Income and Expenditure, in the period in which it arises.

Employee Benefits

i. Short term benefit:

The short term employee benefit is recognized as expense when claimed during the period. Unclaimed amount is provided for.

ii. Post-employment benefit

Post-Employment benefit such as Provident Fund, Gratuity, Leave Encashment etc. are provided as applicable to Head Quarter, respective Regional Councils and Chapters.

Impairment of Assets

The carrying value of assets at each Balance Sheet date is reviewed for impairment. Impairment is recognized, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20 (CONTD.)

Prior Period income/expenditure

Prior period items which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements in one or more prior periods are separately disclosed in the Statement of Income and Expenditure.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)
NOTE – 20 (CONTD.)

B. NOTES TO ACCOUNTS

1. The consolidated financial statements of the Institute is prepared considering Head Quarter Kolkata, New Delhi office, Four Regional Councils and Eighty Three Chapters out of which seven accounts are unaudited viz. Goa, Kalyan-Ambarnath, Bharuch-Ankleshwar, Neyveli, Kharagpur, South Orissa and Kanpur.

Accounts of Twenty- two chapters namely, Indore dewas, Jabalpur, Kutch Gandhidham, Raipur, Singrauli, Bhadravati-Simoga, Ghaziabad, Mangalore, Bellary, Dehradun, Jammu, Jodhpur, NayaNangal, Patiala, Agartala, Hazaribag, JajpurKeonjar, Jamshedpur, Naihati, Ranchi, Chandrapura and Sambalpur are not included during current year, having not been received. However, previous year's figures of the consolidated financial statements include the previous year's figures of these chapters (Refer – Annexure I).

2. Contingent Liability (to the extent not provided for)

- a) As per policy, medical expenses (General, Pathology expenses) are reimbursed to the employees on submission of bills, subject to limits specified in the policy. As per the terms of the policy the unutilized balance can be accumulated for a period of 4 years.
As on 31st March 2020, the unutilized balance lying to the credit of the employees amounting to Rs. 44,99,498/- (Previous Year Rs. 49,14,003/-).
- b) There is a legal suit filed by ex-contractual employees against EIRC sometime in the year 2014, which is still pending. Status has not been changed during the year. Necessary effect, if any, will be provided for in the accounts after the final outcome of the case.
- c) The Service Tax demand of Rs. 5,01,68,756/- (Previous Year Rs.5,01,68,756/-) along with applicable interest penalty of Rs. 5,01,68,756/- (Previous Year Rs.5,01,68,756/-) as per Finance Act, 1994 RW CGST Act, 2017 against which a sum of Rs.37,62,657/- being 7.5% of the demand has been paid during the year and shown as 'Service Tax Deposit' under the head "Loans and Advances".
- d) In respect of Cochin Chapter:
 - i) There was a Sub Court Order demanding a sum of Rs. 19,38,785/- towards damage of building of neighborhood due to construction work carried out by CFE. Chapter has filed an appeal in the District Court of Ernakulum and obtained stay petition on furnishing Bank Guarantee for a sum of Rs. 15,00,000/-, pending final decision.
 - ii) In respect of works contracts amounting to Rs. 75,80,762/-, the Form 1EE (Exemption Form) has not been obtained from contractors by the Chapter. The works contract tax liability on the above due to non-collection of such Forms from works contractors will be Rs. 6,06,461/- plus interest, which has not been provided for in the accounts.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20(CONTD.)

3. Exemption in respect of Income Tax has been granted under section 12A read with section 11 of the Income Tax Act, 1961 which is subject to renewal as per the new provisions of the Finance Act, 2020, as such no provision for Income Tax has been made. No provision for Deferred Tax Asset and Liability is considered necessary.
4. All Prize Funds maintained by the Institute have been incorporated in the accounts together with relevant investments in Fixed Deposit thereof. The funds have been sponsored by the different donors.
5. Fixed Deposits of Rs.235,68,36,746/- (Previous Year Rs.204,22,58,649/-) includes Rs.49,16,284/- (Previous Year Rs.51,99,024/-) for Misc. prize and other fund respectively.
6. Other Advances include Rs. 1,36,097/- (Previous Year Rs.1,36,097/-) due from former Council Member owing to disallowances by the MCA, Govt. of India and presently the matter is subjudice.
7. Statutory Audit Fees includes: -

Statutory Audit Fees (HQ) (inclusive of GST)

Rs. 4,95,217 /-

8. (i) **Head Quarters**

- a) Provident Fund contributions are made to the Institute of Cost Accountants of India Employees Provident Fund Trust.
- b) The liability in respect of Gratuity, as per Payment of Gratuity Act, 1972 (as amended) is Recognized on the basis of contribution made to the LIC against the Group Gratuity Policy.
- c) The liability in respect of leave encashment is recognized on the basis of contribution made to an Approved Leave Encashment Fund maintained with the LIC.
- d) Fixed Deposit of Rs. 99, 01,95,583/- (Previous Year Rs. 89, 34,26,535/-) includes Rs.41,53,446/- (Previous Year Rs. 29,18,957/-) for Misc. prize and other fund respectively.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20(CONTD.)

(ii). **WIRC**1. **Implementation of Directions Issued to WIRC by the Council of the Institute under CWA Regulation 145A**

The amounts of Claim Suspense 2013-14 Rs. 20,77,565/- and Claim Suspense 2014-15 Rs. 81,176/- as appearing in Schedule C – Current Liabilities and corresponding single amount of Claims receivable Rs. 21,58,741/- appearing in Schedule E – Current Assets as on 31st March, 2019 have been reversed during the current year 2019-2020 on the basis of directions issued by The Secretary (Acting) in the letter No.G:142:01:2019 dated 18.01.19 to the Chairman, WIRC.

The said reversal is effected on the basis of below mentioned various directions from the Council of the Institute in accordance with the provisions of the CWA Act 1959 & CWA Regulations 1959.

Directions issued to WIRC for violation of Regulation 145A of The Cost and Works Accountants Regulations, 1959 as per decision taken in the 325th Meeting of the Council held on 28th June, 2020

Reference to earlier Council decisions in the related matter:

In accordance with decision taken 297th meeting of the Council of the Institute held on 7th March, 2016, the matter of issue of non-compliance of guidelines and instructions/directives issued from Headquarters by Chapters and Regions was discussed. The Council considered the issue of non-compliance of guidelines and instructions/directives issued from Headquarters by Chapters and Regions.

After detailed deliberations, it was:

“Resolved that for non-compliance of guidelines and instructions /directives issued from Headquarters by Chapters and Regions, the Chapter / Region concerned shall be issued a notice of 21 days for ensuring compliance by the Secretary. In case of non-compliance by the Managing Committee of Chapter / Regional Council within 21 days, further notice of 21 days will be served to them by the Secretary for dissolution of the Managing Committee of Chapter / Regional Council with an opportunity of being heard.”

“Resolved further that if the Chapter / Regional Council is continuing the non-compliance of directives after appropriate hearing, then it shall be dissolved by a notification issued by the Secretary under approval of the President.”

In accordance with decision taken in 299th meeting of the Council of the Institute held on May 21, 2016, it was discussed as action taken report and resolved as under:

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20(CONTD)

It was also decided that legal expenses, if any, incurred by Regional Council or Chapter without approval of the Headquarters shall be debited to the concerned sanctioning authority of the Regional Council or Chapter."

Directions of the Council as per decision of 325th Meeting of the Council held on 28th June, 2020

In accordance with the decision taken in the 324th Meeting of the Council of the Institute held on 17th & 18th May, 2020 it was decided to call Chairman and other members of Western India Regional Council for a hearing in the 325th Council Meeting held on 28th June 2020 for non-compliance of directions issued under Regulation 145A of the CWA Regulations, 1959 vide letter dated 18th January, 2019 which reads as under :

"Directions in pursuance of Regulation 145A of The Cost & Works Accountants Regulations, 1959. Debit notes raised on CMA Ashish Thatte and CMA Neeraj Joshi by The Institute of Cost Accountants of India (ICAI) - Western Council (WIRC) have no merit and these debit notes are hereby nullified, cancelled and stand withdrawn from the accounts of WIRC of ICAI and also from

the consolidated accounts of The Institute of Cost Accountants of India with effect from 28/09/2018.

WIRC of ICAI is hereby directed to pass the necessary entries in its books of accounts as on 28th September 2018 to give effect to the cancellation of debit notes and confirm compliance of this direction under Regulation 145 A of the Cost & Works Accountants Regulations, 1959 within 7 days from the receipt of this direction."

In the hearing, four elected members of the Council representing in WIRC namely CMA Neeraj D. Joshi, CMA Ashwin G. Dalwadi, CMA Ashish P. Thatte and CMA Debasish Mitra were present. For attending the hearing through VC, only a few members of Western India Regional Council had made themselves available. Since the members were not present in the hearing, the Secretary was directed to contact each of the members of Western India Regional Council over phone to state their case verbally. Some members attended the call and some wrote email about their views on compliance of the directions of the Council.

After detailed deliberations, the Council decided that since the Members of WIRC have repeatedly violated the directions of Council issued under Regulation 145A of The Cost and Works Accountants Regulations, 1959 issued vide letter dated 18th January, 2019, a strict action is required to be taken to ensure that the said directions are implemented in letter & spirit and also to ensure that the Accounts of the Western India Regional Council show a True and Fair View. Accordingly following orders / directions were issued by the Council of the Institute in accordance with and under Section 15 (2) (I) of The Cost and Works Accountants Act, 1959, Regulation 93 (2), 93 (3) & 145 A of The Cost and Works Accountants Regulations, 1959.

Headquarters would take over the charge of Administration, Finance and Legal functions of WIRC in relation to completion of Accounts & Audit Process for the year 2019-20 till the time this process is completed. The accounts of WIRC are also to be finalized under supervision of Headquarters within a period of 1 month.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20(CONTD)

Further, all officers and employees of WIRC would henceforth report directly to the Secretary of the Institute in relation to the completion of Accounts & Audit Process for the year 2019-20 till the time this process is completed. The Head of Finance was authorized to take over the accounts of WIRC for FY 2019-20 and arrange for getting the same audited and the Secretary was authorized to sign the accounts and all other Statements for the year 2019-20.

It was also decided to file disciplinary case against the defaulting members of WIRC for violation of direction issued under Regulation 145A of The Cost and Works Accountants Regulation, 1959 and not appearing before the Council on due date. The Secretary was instructed to refer the case to Director (Discipline).

Further, it was decided that the legal expenses borne by WIRC in any court case filed/ defended by WIRC in connection with the directions issued by the Council under Regulation 145A vide letter dated 18th January 2019 shall be recovered from the past & present members of WIRC who approved the same, in view of decision taken by Council at its 299th meeting held on 21st May, 2016, which is as follows:

It was also decided that legal expenses, if any, incurred by Regional Council or Chapter without approval of the Headquarters shall be debited to the concerned sanctioning authority of the Regional Council or Chapter.

2. Claims receivable from FDAPL of Rs.67,30,000/- as appearing in Schedule F - Current Assets, is disputed by the party. Similarly Rs. 67.30 Lakh Claims Suspense – FDAPL appearing in Schedule D (Current Liabilities) includes an amount of Rs. 60.02 Lakhs balance invoices payable to FDAPL. WIRC has received reminders from the party for the payment of dues and request for appointment of arbitrator.
3. The amount of Provisions for recoverable of Rs. 4,20,707/- as appearing in Schedule C – Current Liabilities will be written back on being approved by the AGM since not payable.
4. The council has adopted a Group Gratuity Scheme with LIC of India; however, in absence of actuarial valuation of gratuity liability by LIC of India as on 31/03/2020, the actual payment of the premium and the additional contribution on account of enhanced liability due to amendment of the Payment of Gratuity Act, 1972 have been accounted as gratuity provision appearing in Schedule - I - Employee Expenses.

(iii) EIRC

- a) Out of total sundry debtors of Rs. 46,20,411.00 as on 31.03.2020 a sum of Rs.12,29,729.00 are more than eight years old .
- b) An amount of Rs 41,98,369.00 received during the Financial Year 2018-19 from SBI on account of lease rent which was pending since 01.01.2013. But, no GST has yet been collected on that Service of Rental Income. Further, EIRC has received a total sum of Rs 19,20,000.00 from SBI during the year on account of lease rent for 12 months which was pending since 01.04.2019. Now, EIRC has raised month wise

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

NOTE – 20(CONTD.)

GST Bill and provision has also been made for the GST amount receivable for the FY 2019-20 on that Service of Rental Income.

- c) Lease Agreement with SBI currently for 5 years from 1/4/2019 @ Rs 160,000 per month (including KMC TAX and surcharge that is to be borne by the landlord) but excluding GST as applicable. As per that Agreement the lessee i.e SBI will pay for 6 months rent and service charges as advance as interest free security deposit on or before taking possession. This deposit may be refunded on termination/cessation of lease. However, EIRC has not yet collected that Security Deposit from the lessee. Now, EIRC has made provision for the amount in the account of the FY 2019-20.
- d) Contingent Liability- A legal suit has been filed by some ex-contractual employees against EIRC of the Institute of Cost Accountants of India some times in the year 2014, which is still pending. Status has not charged during the year. Necessary effect, if any, will be provided in the accounts after the closure of the case and as per final verdict.
- e) In terms of the orders dated 27th May 2015 passed by the Dr. A.S. Durgaprasad, Presiding officer of the Disciplinary Committee , in complaint no. Com/21-CWA(9) 2010, the following orders were imposed against a member in terms of Sec 21B(3) , the CWA Act , 1959 read with rule 19(1) of the Cost and Work Accountants (Procedure of Investigations of Professional & Other misconduct and conduct of Cases), Rules 2007.
 - a. “Reprimanding the Member
 - b. Repayment of the entire amount of Rs 61,461.00/- only to EIRC of Institute plus equivalent amount as fine to be paid within 30days of service of the order and
 - c. Removal of the name from the Register of member for period of one year from date of the service of the order”

Accordingly, Rs 1,22,922.00 was recoverable from the concerned person.

An appeal was preferred before the appellant authority of the Institute of Cost Accountants of India and the said appellant authority by virtue of Order date 09.04.2018 in exercise of the powers conferred upon this said authority under clause (C) of sub. Section (2) of Section 22E of the Cost and Work Accountants Act has stayed the operation of the Impugned Order passed by the Disciplinary Committee of the Institute till the completion of the directions for which the matter is being remitted to the Disciplinary Committee of the Institute of Cost Accountants of India for undertaking the aforesaid proceedings for the purpose as mentioned under Para (12) of the order 09.04.2018 and to pass a fresh Order.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20(CONTD.)

(iv) **NIRC:**

1. As per online dues status verified, the NIRC has the outstanding TDS demand of Rs.1,50,420/- Since the Northern India Regional Council is following up the matter with Income Tax authorities, no provision has been made in the books in respect of penal interest that may become payable as such demands may not stand valid as same needs rectifications and follow up with the Income Tax department, although the provision/adjustment for the outstanding demand has been made in the books of accounts, details of the outstanding demand of TDS for necessary correction/rectification areas below:

SL. NO.	YEAR	DEMAND OUTSTANDING	PAYMENT MADE*
1	2019-20	17,740/-	-
2	2018-19	23830/-	15100/-
3	2012-13	35660/-	-
4	2009-10	12610/-	10670/-
5	2008-09	43160/-	43157/-
6	2007-08	17420/-	17238/-
		1,50,420/-	86,165/-

2. The Ministry of Corporate Affairs has granted Rs 12 lakhs to the Institute of Cost Accountants of India for organizing the Investor's Awareness Programmes across the jurisdiction states of the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi vide letter no. PQ/IEPF/RD (NR)/ 2017/8865 dated 11 Oct 2017. However, in the year 2019- 20, NIRC was not able to conduct any program in this regard and the amount received Rs 4.80 Lakhs from MCA in the year 2019-20 stands repayable back.

9. Balance of GST input credit as on 31.3.2020 amounting to Rs 1,33,24,831/- has been charged to the Statement of Income and Expenditure.

10. The council in its 320th meeting held on 21st July 2019 passed the following resolution

“RESOLVED THAT, In pursuance with the Directives issued to WIRC & NIRC under Regulation 145A by the Central Council vide decision taken in the 316th Adjourned Meeting of the Council held on 6th January, 2019 to amend the Minutes of 315th Meeting of the Council held on 20th and 28th September, 2018, Debit Notes issued by the NIRC against CMA Vijender Sharma and WIRC against CMA (Dr) Ashish P. Thatte and CMA Neeraj Joshi, which are appearing in the individual books of accounts of the respective Regional Councils are null / void/ illegal.

All these Debit Notes are to be removed from the consolidated books of accounts of the Institute to give a true, fair and accurate position of accounts.”

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20(CONTD.)

Considering the Council resolution the debit notes has been removed from the consolidated accounts of the Institute for FY 2019-20.

11. Necessary adjustment entries pertaining to Regional Councils and Chapters have been made at the time of consolidation of accounts.
12. Based on the available information with the Institute as at 31st March, 2020, there is no amount including Interest thereon payable to Micro, Small and Medium Enterprises as defined under “The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006”.
13. Previous year’s figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to conform to the current year’s classification/disclosure.

Signatures to Notes 1 to 20

CMA Soma Banerjee
HOD (Finance)

CMA Kaushik Banerjee
Secretary

CMA Biswarup Basu
Vice President

CMA Balwinder Singh
President

Place:

Date:

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20 (CONTD.)

ANNEXURE-I (Refer Note 1 of Notes to Accounts)

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA			
STATUS OF RECEIPT OF ANNUAL ACCOUNTS FOR THE F.Y. 2019-20			
<u>WESTERN REGION</u>			<u>SOUTHERN REGION</u>
SL.NO.	NAMES	SL.NO.	NAMES
1	WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL	1	SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL
2	Ahmedabad Chapter of ICAI	2	Bangalore Chapter of ICAI
3	Aurangabad Chapter of ICAI	3	Bhadravati -Shimoga Chapter of ICAI #
4	Baroda Chapter of ICAI	4	Cochin Chapter of ICAI
5	Bhilai Chapter of ICAI	5	Coimbatore Chapter of ICAI
6	Bhopal Chapter of ICAI	6	Erode Chapter of ICAI
7	Bilaspur Chapter of ICAI	7	Godavari Chapter of ICAI

8	Goa Chapter of ICAI	8	Hyderabad Chapter of ICAI
9	Indore-Dewas Chapter of ICAI #	9	Kottayam Chapter of ICAI
10	Jabalpur Chapter of ICAI #	10	Madurai Chapter of ICAI
11	Kalyan-Ambarnath Chapter of ICAI	11	<i>Mangalore Chapter of ICAI #</i>
12	Kolhapur-Sangli Chapter of ICAI	12	Mettur-Salem Chapter of ICAI
13	Kutch-Gandhidham Chapter of ICAI #	13	Mysore Chapter of ICAI
14	Nagpur Chapter of ICAI	14	Nellai-Pearl City Chapter of ICAI
15	Nasik-Ojhar Chapter of ICAI	15	Nellore Chapter of ICAI
16	Navi Mumbai Chapter of ICAI	16	<i>Neyveli Chapter of ICAI</i>
17	Pimpri-Chinchwad-Akurdi Chapter of ICAI	17	Palakkad Chapter of ICAI
18	Pune Chapter of ICAI	18	Pondicherry Chapter of ICAI
19	Raipur Chapter of ICAI #	19	Ranipet-Vellore Chapter of ICAI
20	Surat-South Gujarat Chapter of ICAI	20	Thrissur Chapter of ICAI
21	Vapi-Daman-Silvassa Chapter of ICAI	21	Tiruchirapalli Chapter of ICAI
22	<i>Vindhyannagar Chapter of ICAI</i>	22	Trivandrum Chapter of ICAI
23	<i>Solapur Chapter of ICAI</i>	23	Ukkunagaram Chapter of ICAI
24	<i>Bharuch Ankleshwar Chapter of ICAI</i>	24	Vijayawada Chapter of ICAI
25	<i>Singrauli Chapter #</i>	25	Visakhapatnam Chapter of ICAI
		26	<i>Bellary Chapter #</i>
		27	Hosur Chapter
		28	Kozhikode-Malappuram Chapter

<u>EASTERN REGION</u>			<u>NORTHERN REGION</u>
SL.NO.	NAMES	SL.NO.	NAMES
1	EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL	1	<i>NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL</i>
2	<i>Agartala Chapter of ICAI #</i>	2	Agra-Mathure Chapter of ICAI
3	Asansol Chapter of ICAI	3	Ajmer-Bhilwara Chapter of ICAI
4	Bokaro Steel City Chapter of ICAI	4	Allahabad Chapter of ICAI
5	Bhubaneswar Chapter of ICAI	5	Chandigarh-Panchkula Chapter of ICAI
6	Cuttack JagatsinghpurKendrapara Chapter of ICAI	6	<i>Dehradun Chapter of ICAI #</i>
7	Dhanbad-Sindri Chapter of ICAI	7	Faridabad Chapter of ICAI
8	Durgapur Chapter of ICAI	8	<i>Ghaziabad Chapter of ICAI #</i>
9	Guwahati Chapter of ICAI	9	Gorakhpur Chapter of ICAI
10	Hazaribag Chapter of ICAI #	10	Gurgaon Chapter of ICAI

11	Howrah Chapter of ICAI	11	Hardwar-Rishikesh Chapter of ICAI
12	<i>Jajpur-Keonjhar Chapter of ICAI #</i>	12	Jaipur Chapter of ICAI
13	Jamshedpur Chapter of ICAI #	13	Jalandhar Chapter of ICAI
14	Kharagpur Chapter of ICAI	14	<i>Jammu Chapter of ICAI #</i>
15	<i>Naihati-Ichapur Chapter of ICAI #</i>	15	Jhansi Chapter of ICAI
16	Patna Chapter of ICAI	16	Jodhpur Chapter of ICAI #
17	Rajpur Chapter of ICAI	17	Kanpur Chapter of ICAI
18	Ranchi Chapter of ICAI #	18	Kota Chapter of ICAI
19	Rourkela Chapter of ICAI	19	Lucknow Chapter of ICAI
20	<i>Sambalpur Chapter of ICAI #</i>	20	Ludhina Chapter of ICAI
21	<i>Serampore Chapter of ICAI</i>	21	<i>Naya Nangal Chapter of ICAI #</i>
22	Siliguri-Gangtok Chapter of ICAI	22	Noida Chapter of ICAI
23	South Orissa Chapter of ICAI	23	<i>Patiala Chapter of ICAI #</i>
24	Talcher-Angul Chapter of ICAI	24	Udaipur Chapter of ICAI
25	Dhuliajan Chapter of ICAI	25	Bikaner Jhunjhunu Chapter of ICAI
26	Chandrapura Chapter #		
27	Bankura Chapter		

Not included during current year, as the financial statements have not been received

KAUSHIK BANERJEE, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./260/2020-21]